# कुरुक्षेत्र

जून 1984

मूल्य : 1.50 रु०

# लघु एवं ग्रामीण उद्योग

# संपादकीय

## ग्राम विकास में पंचायती राज और सामुदायिक विकास की भूमिका

ग्राम विकास संबंधी कार्यक्रमों और नीतियों के कार्यान्वयन, प्रयोगशालाओं की उपलब्धियों, उन्नत बीजों, सुधरे उपकरणों के उपयोग से गांवों के लोगों की आय बढ़ा कर जीवनयापन के समुन्नत ढंग अपनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए 1952 में शुरू किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने किन्हीं-किन्हीं क्षेत्रों में बड़ी कम लागत से बड़े-बड़े विशाल कार्य कर डाले—बांध, जलाशय, स्कूल-भवन और सड़क निर्माण आदि। सामुदायिक विकास के परिणामस्वरूप अनेक ऐसे आदर्श गांव विकसित हुए जहां कृषि, पशुपालन, सहकारिता, शिक्षा, जनस्वास्थ्य आदि हर क्षेत्र में पूर्ण विकास की उपलब्धि हुई ।

ग्राम विकास कार्यक्रम को लोगों का स्वयं का, स्वयं के द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रम बनाने के लिए पंचायती राज की व्यवस्था लागू की गई, जिसमें ग्राम पंचायत का निर्वाचित सरपंच, खण्डस्तरीय समिति का पदेन सदस्य हुआ और खण्ड स्तरीय समितियों का निर्वाचित प्रमुख जिला परिषद का सदस्य होने लगा । विकास खंड समिति में गांवों के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल हुए । इन तथा राज्य और राष्ट्रीय स्तर के जन प्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में खंड स्तर पर बी० डी० ओ० की सचिवता में खंड समितियों और जिला स्तर पर जिलाधीश की सचिवता में जिला परिषदों की देख-रेख में अनेक गांव समृद्ध हुए और अनेक गांवों के लोगों को यदि कहा जाए कि जीवनदान तक मिला तो अनुचित न होगा । अनेक गांवों में नए-नए उद्योग लगे, अनेक को वृक्षारोपण कर भूक्षरण की विनाशलीला से बचाया गया। कई गांवों में कुएं और जल स्रोत सूखने पर पेयजल तथा जल स्रोतों का स्थायी प्रबंध कर उन्हें उज्जड़ होने से बचाया गया और वहां के लोगों को नई जिंदगी मिली तथा अनेक गांवों को मीलों लम्बी सड़क निर्माण करके व्यापारिक जीवन प्रदान किया गया ।

पंचायती राज और सामुदायिक विकास व्यवस्थाएं बहुत व्यापक हैं और उनमें स्थायित्व भी आ चुका है । लगभग 8-10 गांवों में दो ग्राम स्तरीय कर्मचारी उपलब्ध हैं—ग्राम सेवक (वी० एल० डब्ल्यू०) और पंचायत सेक्रेटरी । गांव पंचायतें भी ग्रामीण विकास के कार्य को बढ़ावा देने के लिए ही है । साथ ही देश की अनेक समाज सेवी संस्थाएं और शिक्षा संस्थाएं भी ग्रामीण विकास कार्य में योग दे रही हैं । जो कार्यक्रम विकास की प्रगति और ग्रामीण गरीबी दूर करने के लिए चलाए जा रहे हैं उनमें भी अब सुदृढ़ता आ रही है। गांव से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कार्यान्वयन प्रणाली सुविकसित है ।

ऐसी व्यापक और सुदृढ़ व्यवस्था में इस बात की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि जिन लोगों के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वे उसे स्वीकारने में झिझकें। क्योंकि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो जान बूझकर गरीब बना रहना चाहेगा । ये भी अक्सर कहा जाता रहा है कि लक्ष्य समूहों तक अनेक मामलों में लाभ नहीं पहुंच पाते। इतनी व्यापक और सुदृढ़ अनुपालक प्रणाली के होते हुए भी अगर यह घटित होता है तो हर कोई इस को कार्यान्वयन प्रणाली की ही खामी मानने को विवश होकर रहेगा ।

ग्राम विकास तथा गरीबी हटाने के कार्यक्रमों को संचालित और कार्यान्वित करने में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को यह मान कर चलना चाहिए कि उनका कार्य परम-पावन और महान है और देश की स्वतंत्रता और प्रजातंत्र की सफलता के लिए अति आवश्यक है । आम जन जितना खुशहाल होगा उतना ही देश आपदाओं से सुरक्षित रहेगा और आपदा आने पर उसका मुकाबला करने में समर्थ होगा ।

पंचायती राज और सामुदायिक विकास प्रणालियां उपरोक्त संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। क्योंकि उनकी पहुंच गांवों के कोने-कोने में बच्चे-बच्चे तक है। उन्हें बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय कार्य करने के संकल्प के साथ काम करना होगा तब ही ग्रामीण बिकास कार्यक्रम सफल हो सकता है । □

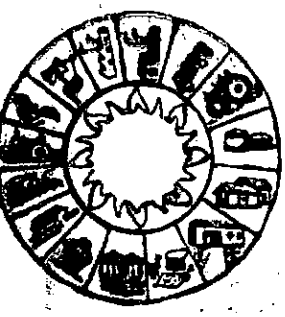

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए।

●

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

●

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत, व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : **सम्पादक, कुरुक्षेत्र (हिन्दी), ग्रामीण विकास मन्त्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली** के पते पर करें।


**मुद्रण : 382406**

**एक प्रति : 1.50 रु०**

**वार्षिक चन्दा : 15 रु०**

**व्यापार व्यवस्थापक : लेख राज बत्रा**

**सहायक व्यापार व्यवस्थापक : एडवर्ड बेक**

**सहायक निदेशक (उत्पादन) :**

**के० आर० कृष्णन**

**सम्पादक** : जयन्त जहांगीर सिंह

**उपसम्पादक** : राधे लाल

**आवरण पृष्ठ** : जीवन अडालजा


# कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास का प्रमुख मासिक


वर्ष 29 ज्येष्ठ–आषाढ़ 1906 अंक 8


**इस अंक में** **पृष्ठ संख्या**


उत्तर प्रदेश में ग्रामीण एवं लघु उद्योग 2
**डा० नन्द किशोर शर्मा**

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम—मासिक रिपोर्ट 4

विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी का भारतीय ग्रामीण विकास पर प्रभाव—एक विश्लेषक के नजरिए में 6
**प्रमोद सिंह एवं मृत्युन्जय शाही**

नीबू एक लाभ अनेक 11
**सुखदेव मल्होत्रा**

चमत्कार (कविता) 12
**रमन गुप्त**

कुछ अनजानी जीवनियां 13

बुनकर सेवा केन्द्र और हस्तकरघा उद्योग 14
**बी० एन० धवन**

क्षेत्रीय आर्थिक विषमता उन्मूलन के अस्त्र-लघु एवं कुटीर उद्योग 16
**मधुसूदन शर्मा**

हमारे कृषक मजदूर 17
**अहद् प्रकाश**

खुशहाल (कविता) 17
**गिरजा शंकर गुप्त**

ग्रामीण विकास कार्यक्रम—दर्पण 18

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम—एक अच्छी जिन्दगी का संदेशवाहक 28
**टी० बी० सत्यनारायणन**

केन्द्र के समाचार 31

पेड़ (कविता) 32
**भगवती लाल व्यास**

जलोत्थान योजना—हाइड्रम आवरण पृष्ठ—3
**रामस्वरूप जोशी**

# उत्तर प्रदेश में ग्रामीण एवं लघु उद्योग

**उत्तर प्रदेश में एक अक्टूबर, 1982 के बाद स्थापित नए उद्योगों को यदि वे ऐसे स्थान पर स्थापित हैं जहां पहले से कोई उद्योग नहीं है 7 वर्ष के लिए बिक्री कर से मुक्त रखा जाएगा, यदि नया उद्योग औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्र में स्थापित किया जाता है तो उस नवस्थापित उद्योग को 6 वर्ष के लिए बिक्री कर से मुक्त रखा जाएगा और यदि नया उद्योग अन्यत्र लगाया जाता है तो उस उद्योग को 5 वर्ष के लिए बिक्री कर से मुक्ति प्रदान की जाएगी। प्रदेश में नवस्थापित आधारभूत एवं महत्वपूर्ण उद्योगों को स्पेशल केपिटल सबसिडी भी प्रदान की जाती है।**

**डा० नन्द किशोर शर्मा**

भारत जैसे विकासशील देश में जहां बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है तथा 70 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है केवल वृहद् उद्योगों के विकास से देश का पूर्ण विकास सम्भव नहीं है। गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए ग्रामीण एवं लघु उद्योगों का विकास अतिआवश्यक है।

उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है तथा यहां की जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक भाग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है। इस प्रदेश की 78 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है तथा कृषि पर निर्भर है। इस जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषिहर मजदूर हैं। पिछले पचास वर्षों में राज्य की जनसंख्या दुगनी से अधिक हो गई है तथा खेतिहर मजदूरों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण खेतों का आकार घटा है, बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हुई है। प्रदेश में ग्रामीण एवं लघु उद्योगों का विकास करके बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया जा सकता है, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है एवं राज्य सरकार की आमदनी में भी वृद्धि हो सकती है।

उत्तर प्रदेश सरकार की नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान देने की योजना बनाई गई है, क्योंकि वर्तमान राज्य सरकार की यह मान्यता है कि इन से अधिक रोजगार प्रदान किया जा सकता है तथा इन उद्योगों में पूंजी का विनियोग भी कम होता है तथा स्थानीय कौशल एवं संसाधनों का प्रयोग किया जा सकता है। लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए एक ही काउन्टर पर सभी समस्याओं का हल खोजा जा सके, इसलिए समय-समय पर सम्बन्धित विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों के कैंपों का आयोजन किया जाता है तथा तुरन्त ही समाधान कर दिया जाता है। राज्य सरकार ने लघु उद्योग, ग्रामीण उद्योग तथा खादी ग्रामोद्योग के विकास के लिए एक पृथक से निदेशालय खोला है। ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए राज्य में कई तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जैसे ऋण पर कम ब्याज, पूंजीगत विनियोग पर अनुदान विक्रय व वितरण की सुविधा, कन्ट्रोल रेट पर कच्च माल की उपलब्धि आदि।

राज्य सरकार ने यह निश्चय किया है कि नए उद्योगों को विद्युत् की कटौती से मुक्त रखा जाएगा। एक अक्टूबर, 1982 के बाद स्थापित नए उद्योगों को यदि वे ऐसे स्थान पर स्थापित हैं जहां पहले से कोई उद्योग नहीं है तो नव स्थापित उद्योग को 7 वर्ष के लिए बिक्री कर से मुक्त रखा जाएगा, यदि नया उद्योग औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्र में स्थापित किया जाता है तो उस नवस्थापित उद्योग को 6 वर्ष के लिए बिक्री कर से मुक्त रखा जाएगा और यदि नया उद्योग अन्य कहीं लगाया जाता है तो उस उद्योग को 5 वर्ष के लिए बिक्री कर से मुक्ति प्रदान की जायेगी। प्रदेश में नवस्थापित आधारभूत एवं महत्वपूर्ण उद्योगों को स्पेशल केपिटल सबसिडी भी प्रदान की जाती है।

वर्तमान में उत्तरप्रदेश राज्य में 7 औद्योगिक केन्द्र हैं जिनमें 3,000 प्लाटस तथा 1043 शेड्स का राज्य सरकार ने विकास किया है। छठी पंचवर्षीय

योजना के अन्तर्गत 17 नए औद्योगिक केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे प्राप्त कर लिया गया है। राज्य में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को बने बनाए शेड्स दिए जाते हैं। ग्रामीण एवं लघु उद्योगों की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने 1982-83 के बजट में 300 लाख रुपये का प्रावधान रखा था। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा स्थापित सहकारी समितियों की अंश पूंजी में भी राज्य सरकार ने हिस्सा लिया है।

राज्य सरकार ने प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए एक ग्रामीण उद्योग की योजना बनाई है, जिससे ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया जा सके। इस योजना के अन्तर्गत गांव में ही उपलब्ध कच्ची सामग्री का प्रयोग किया जाता है तथा उनके विक्रय एवं वितरण की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाती है। उक्त योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने 1982-83 वित्तीय वर्ष में 225.85 करोड़ रुपये के ऋण व अनुदान दिए थे। राज्य सरकार के इस कार्यक्रम से ग्रामीणों को रोजगार मिला तथा खेतिहर मजदूरों को अतिरिक्त आमदनी का साधन प्राप्त हुआ।

राज्य सरकार ने वर्ष 1982-83 वित्तीय वर्ष के लिए 10.43 करोड़ रुपये ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के विकास के लिए खर्च किए हैं। पहाड़ी क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार ने अलग से योजना बनाई है जिस पर 3.15 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पहाड़ी स्थानों पर ऐसे उद्योग लगाए जाने की योजना है जिनसे प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता हो। राज्य के तीन स्थानों—श्रीनगर, पुरी तथा टिहरी गढ़वाल पर लकड़ी पर कलात्मक खुदाई का कार्य करने के प्रशिक्षण संस्थान खोले गए हैं। पीथोरागढ़ नामक स्थान पर बांस की टोकरी तथा चटाई बनाने का प्रशिक्षण केन्द्र प्रारम्भ किया गया है।

प्रदेश में जिला उद्योग केन्द्र योजना के अन्तर्गत 25 हजार रुपये तक के ऋण जिला स्तर पर ही स्वीकृत एवं प्रदान किए जाते हैं। राज्य में 50,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों में 212 विकास केन्द्र स्थापित किए गए हैं। विकास केन्द्र तथा जिला उद्योग केन्द्र योजना के अन्तर्गत लघु उद्योगों को अक्टूबर, 1982 तक 48.12 लाख रुपये का ऋण प्रदान किया जा चुका है।

राज्य में गहन ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत 1,07,286 उद्यमियों का चुनाव किया गया है जिन्हें राज्य सरकार लघु एवं कुटीर उद्योग लगाने के लिए सभी तरह की सहायता प्रदान कर रही है। राज्य में लगभग 10 लाख उद्यमियों ने ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन किया जिनमें से 60 प्रतिशत को ऋण प्रदान किया जा चुका है।

लघु एवं कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का निर्यात करने के लिए तथा उन्हें कच्ची सामग्री सस्ती दर पर सुलभ कराने के लिए उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम को अधिकृत किया गया है। इस निगम ने लघु एवं कुटीर उद्योगों को विपणन एवं निर्यात सहायता के रूप में 6 करोड़ रुपये 1982-83 वित्तीय वर्ष में प्रदान किए हैं तथा इसी अवधि में कच्ची सामग्री प्रदान करने के लिए निगम ने 10 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

उत्तर प्रदेश वित्त निगम ने लघु एवं ग्रामीण उद्योगों को ऋण प्रदान करने की योजना का सरलीकरण किया है तथा एक संयुक्त ऋण योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत स्थाई सम्पत्ति खरीदने के लिए उदार शर्तों पर ऋण प्रदान किया जाता है। यह निगम वित्तीय दृष्टि से रुग्ण लघु उद्योगों को कार्यशील पूंजी प्रदान करने में भी सहायता प्रदान करता है। वर्ष 1982-83 में इस निगम ने रुग्ण उद्योगों के विकास के लिए 12 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की है।

नए बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तरप्रदेश राज्य में 13,000 लघु उद्योग लगाए गए हैं। इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत 50,000 ग्रामीणों को हैन्डलूम लगाने तथा कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को इस योजना के अन्तर्गत विशेष रूप से सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। मुरादाबाद के पीतल के बर्तन बनाने वाले लघु एवं कुटीर उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 273 लाख रुपये की लागत से पीतल की चादरें बनाने का एक कारखाना लगाया है।

नए बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत ही राज्य चमड़ा विकास निगम ने लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए "कामधेनु" नामक एक योजना बनाई है, जिसके अन्तर्गत चमड़े के कार्य में लगे लघु एवं ग्रामीण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान किया जाता है, उत्पादन की डिजाइन बनाने में सहायता प्रदान की जाती है, तकनीकी सहायता भी दी जाती है तथा अन्य चाही गई सहायता प्रदान करने के प्रयास किए जाते हैं। वर्ष 1982-83 में इस निगम ने लघु एवं कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित 75 लाख रुपये के जूतों का विक्रय किया है।

उत्तर प्रदेश के हैण्डलूम वस्त्रों की देश तथा विदेश में बहुत अच्छी मांग है। अतः सरकार ने इस उद्योग के विकास के लिए दो प्रोसेसिंग हाउस भी बनाए हैं। हैण्डलूम के कपड़ों की रंगाई तथा डिजाइन प्रिन्ट करने के लिए हैण्डलूम कारपोरेशन ने राज्य में विभिन्न स्थानों पर 11 कारखाने लगा रखे हैं, बुनकर अपना कपड़ा ले जाकर उपर्युक्त सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य में कार्यरत 90,000 बुनकरों को सूत उचित मूल्य पर मिल सके इस कार्य के लिए कोपरेटिव स्पीनिंग मिल ने प्रदेश के तीन स्थानों पर सूत कातने के कारखाने लगा रखे हैं, इन कारखानों में 45 लाख किलोग्राम सूत प्रति वर्ष काता जाता है। बुनकरों को सूत उनके निवास स्थान के पास ही उप-

(शेष पृष्ठ 5 पर)

# समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

# मासिक रिपोर्ट

सचिव (ग्रा० वि०) ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की पुनरीक्षा करने हेतु समीक्षाधीन अवधि में गुजरात और कर्नाटक राज्यों का दौरा किया।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्य-दल की बैठक 5 अप्रैल, 1984 को हुई थी। इस कार्य-दल ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की प्रारूप रिपोर्ट पर विचार किया।

संकलित की गई सूचना के अनुसार, 1983–84 में, फरवरी, 1984 तक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 26.31 लाख लाभ भोगियों को सहायता दी गई है। इसमें 10.77 लाख लाभभोगी (लगभग 40.9 प्रतिशत) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं। इस शीर्ष के अन्तर्गत फरवरी, 1984 तक 289.02 करोड़ रु० की धनराशि उपयोग में लाई जा चुकी है और 554.84 करोड़ रु० का आवधिक ऋण वितरित किया गया। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, 1983–84 के वित्तीय वर्ष में 202 करोड़ रु० के उपलब्ध बजट प्रावधान में से 199.63 करोड़ रु० की राशि (जोकि बजट प्रावधान का 98.8 प्रतिशत बनती है) बंटित की गई थी।

विशेष पशुधन संवर्द्धन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को 1983–84 में 607.30 लाख रु० की राशि आर्थिक सहायता के रूप में बंटित की गई थी।

बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठकें पटना और लखनऊ में क्रमशः 22–3–84 और 29–3–1984 को हुई थीं। समिति ने 1984–85 के लिए कुछ कार्यक्रमों का अनुमोदन किया तथा इन राज्यों के समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की पुनरीक्षा भी की।

## राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

समीक्षाधीन अवधि में 3,413.54 लाख रु० की राशि असम, बिहार, गुजरात हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल को बंटित की गई है। इसके साथ, इस शीर्ष के अन्तर्गत 1983-84 में 18,890.92 लाख रु० की राशि और 2,35,763 मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों को बंटित की गई थी।

## ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की केन्द्रीय समिति की पांचवीं बैठक 21-3-1984 को हुई थी तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत 2,604 लाख रु० की लागत वाली 22 परियोजनाएं अनुमोदित की

गई थीं। इस प्रकार 26-4-1984 तक कुल 130 परियोजनाएं अनुमोदित की गई जिन पर 407.22 करोड़ रु० की लागत आएगी।

## सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम

समीक्षाधीन अवधि में विभिन्न राज्य सरकारों को सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रमशः 1,961.692 लाख रु० और 366.86 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता बंटित की गई थी।

## प्रशिक्षण

सचिव (ग्रामीण विकास) ने ग्रामीण विकास में अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए राज्य के केन्द्रों की स्थापना/उन्हें सुदृढ़ बनाने संबंधी विभिन्न राज्य सरकारों के प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए विशेषज्ञ दल की बैठक आयोजित की। सबकी सम्मति थी कि सातवीं योजना में ग्रामीण क्षेत्रीय अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की जानी चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान से इसका ब्यौरा तैयार करने के लिए कहा गया है। विशेषज्ञ दल की सिफारिशों पर असम, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्यों में चार नए राज्य केन्द्र चुने गए हैं।

समीक्षाधीन अवधि में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद द्वारा निम्नलिखित चार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे :—

(क) ग्रामीण विकास के प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण विधियों और तकनीकों का पाठ्यक्रम;

(ख) ग्रामीण विकास के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई;

(ग) विस्तार के बदलते परिप्रेक्ष्य पर कार्यशाला;

(घ) दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग के कार्यक्रम के अन्तर्गत "पावर्टी फोकस्ड रूरल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी" पर अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में बहुत से बहुद्देशीय संगठनों के प्रेक्षक प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद ने 6 और 7 अप्रैल, 1984 को अपनी "रजत जयंती" मनाई।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के कार्यों और ग्रामीण विकास की उभरती हुई तस्वीर के संदर्भ में प्रेरक संस्था के रूप में इसकी भूमिका की गहन पुनरीक्षा करने के लिए एक समिति मार्च, 1983 में स्थापित की गई थी जिसने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस पर सरकार द्वारा विचार किया गया है और इसकी मुख्य सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है।

## कृषि विपणन

कृषि बाजारों की प्रगति की दिशा में ग्रामीण गोदामों के निर्माण-कार्य की पुनरीक्षा करने के लिए 12-3-1984 को संस्वीकृति समिति तथा परियोजना निधिकरण समिति की बैठकें हुई थीं।

228 कृषि मंडियों के विकास के लिए समीक्षाधीन अवधि में 134 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता बंटित की गई है। इसको जोड़कर 1983-84 में दी गई कुल धनराशि 372.15 लाख रु० बैठती है। यह राशि 440 कृषि मंडियों के लिए है। इसी प्रकार, समीक्षाधीन अवधि में 281 ग्रामीण गोदामों के निर्माण के लिए 99.65 लाख रु० की केन्द्रीय आर्थिक सहायता बंटित की गई है। इसके साथ, ग्रामीण गोदामों के राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना की स्कीम के अन्तर्गत 985 ग्रामीण गोदामों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 1983-84 में कुल 299.10 लाख रु० की राशि बंटित की गई है।

## विविध

इस मंत्रालय ने निम्नलिखित दो प्रकाशन निकाले हैं :—

(1) ग्रामीण निर्धनता निवारण (हिन्दी)

(2) ट्राइसेम पाठ्यचर्या □

---

## उत्तर प्रदेश में ग्रामीण एवं लघु उद्योग

[पृष्ठ 3 का शेषांश]

लब्ध हो सके इसके लिए हैण्डलूम कारपोरेशन ने 30 स्थानों पर स्वयं के विक्रय केन्द्र खोल रखे हैं। हैण्डलूम कारपोरेशन ने स्वयं 6,126 हैण्डलूम लगा रखे हैं तथा सहकारी क्षेत्र में भी 1,927 हैण्डलूम लगे हैं।

हैण्डलूम कारपोरेशन ने राज्य में 8 स्थानों पर इन्टेन्सिव डवलपमेंट प्रोजेक्ट की योजना प्रारम्भ की है, जिसके अन्तर्गत वर्तमान में 50 हजार बुनकर लाभान्वित हो रहे हैं तथा 1986 तक यह लाभ 64 हजार बुनकरों को प्राप्त होने लगेगा। राज्य में 1982-83 में 54 लाख मीटर हैण्डलूम का कपड़ा उत्पादित हुआ जबकि 1981-82 में इस कपड़े का उत्पादन 50.2 लाख मीटर ही था। रेशमी कपड़े के उत्पादन के लिए राज्य सरकार ने एक कारखाना बनारस में लगाया है तथा यहीं पर जरी का कपड़ा बनाने का भी एक पृथक से प्लान्ट लगाने की योजना है। □

सी-83, रामनगर,
जयपुर (राजस्थान)

# विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का भारतीय ग्रामीण विकास पर प्रभाव

## एक विश्लेषक के नजरिये में

प्रमोद सिंह* एवं मृत्युन्जय शाही**

स्वतन्त्रता से पूर्व ग्रामीण भारत में बड़े पैमाने पर गरीबी, अज्ञानता, बेरोजगारी, निरक्षरता, अंध-विश्वास, तथा धार्मिक भेदभाव व्याप्त थे। स्वतंत्रता के पश्चात् इन सब को रोकना तथा हर क्षेत्र में विकास करना, मुख्य उद्देश्य बनाया गया। स्वतन्त्रता के पांच वर्ष के अंतर्गत ही लगभग सभी राज्यों ने जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन कर दिया तथा हर क्षेत्र में संतुलित विकास के लिए पंचवर्षीय योजना सन् 1951 में शुरू की गई। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पूंजीवादी तथा समाजवादी व्यवस्थाओं का समन्वय किया गया जिसके अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी को काफी महत्व दिया गया।

मार्च 1958 में, भारत सरकार ने विज्ञान नीति की घोषणा की, जिसका मुख्य उद्देश्य विज्ञान का उपयोग लोगों के हित में करना था। इस नीति के अंतर्गत व्यक्तिगत तौर पर वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त एवं प्रसार करना तथा नए ज्ञान को प्राप्त करना था। इसके साथ ही साथ विज्ञान का उपयोग शिक्षा, कृषि, उद्योग, सुरक्षा में करके देश का विकास करना भी था।

विज्ञान नीति की घोषणा से पूर्व भारत में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, कलकत्ता (1851), भारतीय मौसम विभाग, पूना (1875), संक्रामक रोग राष्ट्रीय संस्थान, दिल्ली (1909), इंडियन कौंसिल आफ मेडिकल रिसर्च, दिल्ली (1911), रेडियो प्रसारण (1927), इम्पीरियल (अब भारतीय) कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली (1929); आल इंडिया इन्स्टीट्यूट आफ हाईजीन एंड पब्लिक हैल्थ कलकत्ता (1932), कौंसिल आफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च, दिल्ली (1942), तथा स्वतंत्रता के बाद नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, नई दिल्ली (1947) डिफेंस साइंस आर्गेनाइजेशन (1948), सेंट्रल स्टेटिस्टिकल आर्गेनाइजेसन, आणविक ऊर्जा कमीशन (1948), इंडियन नेशनल डाकुमेंटेशन सेंटर, नई दिल्ली (1952), नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली (1953), टेलीकम्यूनीकेशन रिसर्च सेंटर, नई दिल्ली (1956), भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम (1962), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली (1971), कृषि अनसंधान एवं शिक्षा विभाग (1973), कृषि अनुसंधान विज्ञान (1975) तथा पर्यावरण विभाग (1980) में स्थापित किया गया। इस समय देश में लगभग 150 से अधिक अनुसंधान प्रयोगशालाएं वैज्ञानिक विभागों के अंतर्गत, विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन 629 औद्योगिक संस्थाएं जिसके अंतर्गत सार्वजनिक संस्थान भी हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। इन सब का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा है।

आज भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के बाद सबसे अधिक वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी-विद्वान उपलब्ध हैं, परन्तु भारत अपने कुल राष्ट्रीय उत्पादन का केवल 0.6 प्रतिशत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर खर्च करता है जबकि विकसित राष्ट्र अपने राष्ट्रीय उत्पादन का 2 से 3 प्रतिशत खर्च करते हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने देश को अपने उद्देश्य की प्राप्ति, नई सामाजिक व्यवस्था, उच्च जीवन स्तर लाने और गरीबी, अज्ञानता, अंधविश्वास, निरक्षरता, धार्मिक भेद-भाव दूर करने तथा सहिष्णुता में वृद्धि, सामाजिक एकता, भ्रातृत्व, सहयोग मानव एवं वातावरण समायोजन तथा आत्मनिर्भरता में मदद की है? कुछ हद तक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने समाज के सभी वर्गों पर अपना प्रभाव दिखाया है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण ग्रामीण क्षेत्रों में धीरे-धीरे जजमानी व्यवस्था का ह्रास होना है।

भारत की 68.38 करोड़ जनसंख्या में 50.19 करोड़ अर्थात 76.27 प्रतिशत 6.3 लाख गांवों में रहती है

*प्रवक्ता, भूगोल, इलाहाबाद डिग्री कालेज इलाहाबाद 23/47/120 सी-1 अल्लापुर इलाहाबाद।

**प्रवक्ता, ग्रामीण विकास, इलाहाबाद पालीटेक्निक, इलाहाबाद

(1981) । देश की कुल 17.51 करोड़ हैक्टेयर सकल कृषि भूमि में से (निबल बोई गई भूमि 14.2 करोड़ हैक्टेयर तथा दुबारा बोई गई भूमि 3.22 करोड़ हैक्टेयर) 4.85 करोड़ हैक्टेयर अधिक उत्पादन वाले बीजों (एच० वाई० वी०) के अधीन है (1980-81) । अधिकांश कृषि भूमि (81.55 प्रतिशत) खाद्यान्नों के अधीन है । उर्वरकों का उपयोग वर्ष 1981-82 में 60.6 लाख टन किया गया, जिसमें रबी तथा खरीफ़ मौसम में क्रमशः 37 लाख टन तथा 23 लाख टन उपयोग हुआ । इस वर्ष प्रति हैक्टेयर उर्वरक का उपयोग 32 कि० ग्राम था जिसमें नाईट्रोजन, फासफोरस, पोटाश की मात्रा क्रमशः 21.4, 7.0 तथा 3.6 कि० ग्रा० थी । देश में उर्वरक के उपयोग में भी काफी असमानता पाई जाती है । देश में सबसे अधिक उर्वरक का प्रति हैक्टेयर उपयोग पंजाब (120 कि० ग्रा०) तथा हरियाणा (100 कि० ग्रा०) में हो रहा है ।

ग्रामीण क्षेत्र में देश के कुल विद्युत उत्पादन का 16.9 प्रतिशत उपयोग किया जाता है । राज्योंवार विद्युत का ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग आंध्र प्रदेश 21.2, हरियाणा 39.4, उड़ीसा 1.5, केरल 7.6, पंजाब 38.7, पश्चिम बंगाल 1.4 तथा असम 0.5 प्रतिशत है। देश के 55.7 प्रतिशत गांवों में विद्युत संभरण की व्यवस्था की जा चुकी है । एक तरफ पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल में गांवों का विद्युतीकरण शत प्रतिशत हुआ है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 47.7 प्रतिशत, मणिपुर में 22 प्रतिशत तथा मेघालय में 21 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हुआ है, जो कि राष्ट्रीय औसत से भी कम है (31 मार्च 1983) । जिन गांवों में विद्युतीकरण हुआ है, वहां विद्युत का संभरण भी न्यूनतम है ।

देश की लगभग 620 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है । इसमें भी सिंचाई की व्यवस्था अधिकांशतः उन्हीं क्षेत्रों में की गई है, जहां पर प्रयाप्त मात्रा में वर्षा हो जाती है । सिंचाई के प्रमुख स्रोत नहर (39.8 प्रतिशत), नलकूप (21.5 प्रतिशत) कुएं (21.7 प्रतिशत) तथा अन्य स्रोत (6.7 प्रतिशत) हैं । सिंचाई की सुविधाओं में भी क्षेत्रीय विषमता पायी जाती है, उदाहरण के लिए पंजाब 83 प्रतिशत, हरियाणा 54 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश 43.5 प्रतिशत, असम 17.3 प्रतिशत, मध्य प्रदेश 11.1 प्रतिशत तथा त्रिपुरा के 7.5 प्रतिशत क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था का विकास हुआ है ।

पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारम्भ से पूर्व वर्ष 1950 में 5.5 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन होता था जो कि वर्ष 1982–83 में बढ़कर 14.2 करोड़ टन हो गया । खाद्यान्न उत्पादन की यह वृद्धि बुनियादी संसाधनों की बरबादी पर हुई है । देश के लिए कृषि का विकास बहुत ही आवश्यक है क्योंकि 36.40 प्रतिशत राष्ट्रीय आय कृषि से प्राप्त होती है (वर्ष 1980–81 के चालू मूल्य पर) तथा 63.2 प्रतिशत कार्यात्मक जनसंख्या कृषि में लगी है । अगर हम विश्व के अन्य देशों से तुलना करें तो यह आस्ट्रेलिया (5.8 प्रतिशत), कनाडा (5 प्रतिशत), संयुक्त राज्य अमेरिका (2.2 प्रतिशत), ब्रिटेन (2 प्रतिशत) है (1980) । खाद्यान्नों का प्रति हैक्टेयर उत्पादन भी विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है यथा, भारत में गेहूं का प्रति हैक्टेयर उत्पादन 1,434 कि० ग्रा० है जबकि ब्रिटेन में यह 5,653, फ्रांस 5,167, आस्ट्रेलिया 3,225 तथा संयुक्त राज्य अमेरिका 2,249 कि० ग्रा० है । गेहूं के उत्पादन में क्षेत्रीय विभिन्नता पायी जाती है । पंजाब से 2,730, हरियाणा 2,359, बिहार 1,314 तथा मध्य प्रदेश 934 कि० ग्रा० प्रति हैक्टेयर है । इसी प्रकार प्रति हैक्टेयर चावल का उत्पादन 2,010 कि० ग्राम है जोकि विश्व के अन्य देश मिस्र 5,752, जापान 5,128, संयुक्त राज्य अमेरिका के 4,935 कि० ग्रा० से बहुत ही कम है । राज्योंवार प्रति हैक्टेयर चावल का उत्पादन पंजाब 2,957, हरियाणा 2,602, कर्नाटक 2,006, पश्चिम बंगाल 1,442, उत्तर प्रदेश 1,051 तथा बिहार 1,015 कि० ग्रा० है । उपर्युक्त विवरण से यह पता चलता है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने खाद्यान्न उत्पादन में क्षेत्रीय विभिन्नताओं को जन्म दिया है । हरित क्रांति भी सिकुड़ कर कुछ क्षेत्रों में ही रह गई है ।

आज 6.3 लाख गांवों में से 1.55 लाख गांवों में सभी मौसम में जाने योग्य सड़कें, 92,800 गांवों में सूखे मौसम में जाने योग्य तथा अन्य गांवों में कोई सड़क की सुविधा नहीं है । इसी प्रकार 76,900 गांवों में केवल पेय जल की सुविधा है । 3 लाख गांवों में पानी तो उपलब्ध है परन्तु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तथा 1.73 लाख गांवों में पेय जल की कोई व्यवस्था नहीं है । राजस्थान के 33,000 गांवों में से 24,000, बिहार के 67,566 गांवों में से 25,000, महाराष्ट्र के 35,778 गांवों में 14,000 तथा उत्तर प्रदेश के 1,12,561 गांवों में से 35,506 गांवों में भयंकर पेय जल संकट है । देश के कई भागों के भूमिगत जल में फलोराइड लोहा, नाइट्रेट, मैंगनीज आदि की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक है यथा, लोहा तथा मैंगनीज की अधिकतम निर्धारित सीमा 0.3 और 0.1 मि० ग्रा०/लिटर है जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मणिपुर, तथा पश्चिम बगाल के भूमिगत जल में यह क्रमशः 1 से 10 तथा 0.2 से 0.5 मि० ग्रा०/लिटर है ।

देश में उत्पादन में वृद्धि तो हुई है, परन्तु वास्तविक शब्दों में विकास नहीं हुआ है क्योंकि उत्पादन वृद्धि का वितरण असमान हुआ है । इसके परिणामस्वरूप धनी एवं गरीब के बीच खाई बढ़ती जा रही है। सन् 1971 की जनगणना के अनुसार 41 प्रतिशत कार्यात्मक कृषि जनसंख्या के पास 9 प्रतिशत तथा 4 प्रतिशत के पास 31 प्रतिशत खेती योग्य भूमि उपलब्ध थी । नेशनल सेम्पल सर्वे (1971–72) के अनुसार 20 प्रतिशत निम्न वर्ग के लोग कुल ग्रामीण उपभोग का 9.5 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत उच्च वर्ग के लोग कुल उपभोग का 30 प्रतिशत करते हैं ।

देश में पिछले कुल वर्षों से अधिकतम सीमा से अधिक भूमि रखने वालों से प्राप्त भूमि का तेजी से भूमिहीनों, कृषि श्रमिकों में बांटने का कार्यक्रम शुरु किया गया है । परन्तु आज भी कुल कार्यात्मक

जनसंख्या का 22.4 प्रतिशत कृषि श्रमिक हैं ।

वर्ष 1976–77 की कृषि जनगणना के अनुसार 8.15 करोड़ कार्यात्मक जोतें 16.41 करोड़ हैक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई हैं । आधे से अधिक जोतें (4.45 करोड़) सीमान्त अर्थात एक हैक्टेयर से छोटी हैं जिनका क्षेत्रफल 1.75 करोड़ हैक्टेयर है । छोटी जोतों (एक से दो हैक्टेयर) की संख्या 1.47 करोड़ तथा उनका क्षेत्र 12.8 प्रतिशत है । सीमान्त व छोटी जोतें देश की कुल जोतों की 72.6 प्रतिशत हैं । जोतों की संख्या में सन् 1971 से सन् 1976 के बीच 1.11 करोड़ की वृद्धि हुई है ।

बड़ी एवं मझोली सिंचाई परियोजनाओं के जल संग्रहण क्षेत्र में बालू के जमाव के कारण काफी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं । लगभग 20 लाख एकड़ फीट जल संग्रहण क्षमता प्रति वर्ष समाप्त होने के साथ-साथ 7 लाख एकड़ सिंचन क्षमता घटती जा रही है । भाखड़ा, जिसका निर्माण सन् 1959 में हुआ तथा जिसकी उम्र 403 वर्ष अनुमानित की गई थी, बालू के जमाव के कारण घटकर 291 वर्ष हो गई है । इसी प्रकार अन्य बड़ी सिंचाई परियोजनाओं जैसे तुंगभद्रा 311 वर्ष (245 वर्ष) माताटीला 375 वर्ष (108 वर्ष), पंचेत 216 वर्ष (138 वर्ष) मैथान 210 वर्ष (153 वर्ष), मयूराक्षी 872 वर्ष (198 वर्ष), शिवाजी नगर 5,000 वर्ष (2,200 वर्ष) हीराकुड 386 वर्ष (147 वर्ष) तथा गांधी सागर 935 वर्ष (348 वर्ष) रह गई है । यह बड़े खेद की बात है कि सिंचाई विभाग द्वारा नियुक्त 'रिजर्वायर सेडीमेंटेशन कमेटी' की रिपोर्ट को अभी तक लागू नहीं किया गया है । इस रिपोर्ट में परियोजना के जल संग्रहण में मिट्टी के जमाव का कारण आस-पास के क्षेत्रों से भूमि के कटाव से आई हुई मिट्टी है ।

भौतिक एवं इंजीनियरिंग विज्ञान का उपयोग करते समय जैविक एवं पर्यावरण विज्ञान का पूरा ध्यान नहीं रखा गया है । सिंचाई का वैज्ञानिक नियोजन पिछले 35 वर्ष के अनुभव के आधार पर किया जाना चाहिए ।

सिंचन क्षमता का अधिकांश भाग नालियों से वाष्प बनकर, जल रिसाव, एक खेत से दूसरे खेत में सिंचाई करने के कारण नष्ट हो जाता है । खेतों में सिंचाई के लिए पक्की नालियों का बनाना उचित होगा क्योंकि खेत सिंचाई में जल के नुकसान के साथ-साथ आवश्यकता से अधिक जल खेतों को मिल जाता है जिससे जलाधिक्य की भी समस्या बढ़ती है । नियोजन प्रारम्भ होने से आज तक लगभग 15,000 करोड़ रुपये सिंचाई परियोजनाओं पर खर्च किए जा चुके हैं । और भी हजारों करोड़ रुपये इस पर खर्च करने होंगे । जिससे कि 11.3 करोड़ हैक्टेयर कुल सिंचन क्षमता का विकास हो सके । 6.2 करोड़ हैक्टेयर सिंचित भूमि भी 10 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन नहीं कर पाती । आज भी देश को कृषि के लिए मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है ।

वन, हरा सोना कुल भौगोलिक क्षेत्र के 22.7 प्रतिशत भाग में फैला हुआ है । राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश की 33.3 प्रतिशत भूमि पर, जिसमें 8.0 प्रतिशत पहाड़ी क्षेत्र तथा 20 प्रतिशत मैदानी क्षेत्र में, वन होना चाहिए । वैसे तो सन् 1951 में यह 21.8 प्रतिशत था जो सन् 1981 में बढ़कर 22.7 प्रतिशत हो गया । वनों के अंधाधुंध कटाव से क्षेत्रीय असमानता बढ़ी है । वनों का कटाव कृषि भूमि क्षेत्र बढ़ने से, जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण, विस्थापितों के पुनर्वास, ऊर्जा की आवश्यकता, उद्योगों की मांग, नगरीय क्षेत्र में वृद्धि तथा वन अधिकारियों की अनुचित गतिविधियों के कारण हुआ है । आजकल प्राकृतिक वनों को व्यावसायिक वनों के द्वारा हटाया जा रहा है । वनों की कमी के कारण बाढ़, भूमि का कटाव, भूमि उर्वरा में ह्रास, प्राकृतिक सुन्दरता में कमी आ रही है । हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के शिवालिक पाद (तराई क्षेत्र में) वनस्पतियों के तीव्र गति से कटाव के कारण मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या बढ़ती जा रही है । आजकल, युक्लिप्टस लगाने की प्रणाली भी तेजी से बढ़ रही है, जिसकी जगह उपोष्ण कटिबन्धीय वन लगाए जाने चाहिए, जिसका पर्यावरणीय महत्व है ।

हरित क्रांति के लाने में (भले ही सभी क्षेत्रों में नहीं हुआ है) उर्वरकों का काफी महत्व है जिसके अधीन नाईट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है । इन तीन तत्वों के अतिरिक्त मिट्टी के लिए अन्य आवश्यक तत्वों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । परम्परागत ढंग से खाद देने की प्रगति हरित क्रांति के क्षेत्रों में कम होती जा रही है । कीटाणु दवाओं का उपयोग भी तीव्र गति से बढ़ रहा है जिनकी अधिकतम समाप्त होने की आयु होती है । इनके तीव्र गति से समाप्त होने हेतु शोध करने की तथा इनमें उपस्थित पैट्रोलियम पदार्थों की मात्रा में कमी करने की भी आवश्यकता है ।

एक प्रकार की भ्रामक विचारधारा है जो विद्वानों में भी व्याप्त है कि ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या में वृद्धि दर शहरी क्षेत्र की अपेक्षा तीव्र है; लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है । सन् 1977 में ग्रामीण क्षेत्र में जन्म दर एवं मृत्यु दर क्रमशः 32.2 और 16.0 प्रति एक हजार तथा नगरीय क्षेत्र में यह 27.8 एवं 9.4 थी । इस प्रकार नगरीय क्षेत्रों में वृद्धि कम नहीं, बल्कि (0.2 इकाई) अधिक है । यह नगरीय क्षेत्र में 18.4 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 18.2 थी । इसी प्रकार बाल मृत्यु दर नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः 70 और 136 सन् 1978 में थी । इसका तात्पर्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 864 तथा नगरीय क्षेत्रों में 930 बच्चे 1,000 बच्चों में जीवित रहते हैं । अधिक बच्चे पैदा होना माता, बच्चे एवं समाज तीनों के लिए तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी घातक है । परिवार नियोजन कार्यक्रम सन् 1952 से शुरू किया गया परन्तु आज भी इसका प्रभाव सभी ग्रामीण वर्ग के लोगों में नहीं हुआ है ।

5.75 लाख (1971) गांवों में से 3.18 लाख गांवों में 500 से कम

1.33 लाख गांवों में 500 से 999 तथा 81,973 गांवों में 1,000 से 1,999 व्यक्ति रहते हैं । इसका तात्पर्य यह है कि 5.34 लाख (92 प्रतिशत) गांवों में 2,000 से कम व्यक्ति रहते हैं । थोड़ी जनसंख्या के गांवों में लोग एक साथ रहकर पुरखों में जातीय संरचना के आधार पर रहते हैं । इन गांवों में केवल 18 प्रतिशत लोगों के पास पक्का घर है । 58 प्रतिशत लोगों के पास समुचित शरणस्थल भी नहीं है । इसमें मुख्यतः अनुसूचित जाति एवं जनजाति, छोटे एवं सीमांत कृषक तथा कृषि श्रमिक वर्गों के लोग आते हैं । 24 प्रतिशत लोगों के पास कच्चे मकान तथा कुछ सम्पत्ति तो है परन्तु घर स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं है ।

आधुनिक प्रौद्योगिकी, सम्पूर्ण प्रौद्योगिकी संरचना में गत्यात्मक तत्व है जिसमें हर समय परिवर्तन होता रहता है, उदाहरण के लिए मोटर गाड़ी, वायुयान, कपड़े की मशीनों, फाउन्टेन पेन के नए-नए माडल हर समय आते रहते हैं । घरेलू ग्रामीण प्रौद्योगिकी उसी पुराने स्तर पर रुकी रही तथा आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने उसे और ही चोपट कर दिया । औद्योगिक क्रांति से पहले विज्ञान ने घरेलू उद्योग तथा नई वस्तुओं के उत्पादन में क्रमशः उसके स्तर सुधारने में मदद की थी परन्तु उसके बाद पूर्णतया एक शैथिल्य सा बन गया ।

गांवों की जीवन पद्धति में परिवर्तन कुछ क्षेत्रों में देखा जा सकता है जैसे कंडे की कलम, होल्डर की जगह फाउन्टेन पेन, मिट्टी के बर्तन की जगह पीतल, तांबे, एल्यूमिनियम, स्टील के बर्तन, सूती कपड़े की जगह टेरीलीन, शुद्ध घी की जगह डालडा, दतवन की जगह पेस्ट, मंजन, घरेलू ग्रामीण जूते के स्थान पर बाटा कम्पनी के जूते, लोहारों के बने सामान की जगह इंजीनियरिंग उद्योग से बने समान इत्यादि । परन्तु इस सबका प्रभाव भी कुछ ही लोगों पर पड़ा है ।

इधर तीव्र गति से छोटे खेतों की संख्या बढ़ती जा रही है । अतः हमारा विकास कार्यक्रम छोटे फार्म उन्मुख होना चाहिए । जिसमें उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ उचित काम, खाली समय में रोजगार मिलने की व्यवस्था होनी चाहिए । आज की एक प्रमुख समस्या कम उपादन की नहीं है बल्कि साथ ही साथ मांग में कमी भी है । अतः गरीब वर्ग के लोगों में खरीदने की क्षमता में वृद्धि करना भी आवश्यक है । सीमान्त कृषक ऋण के बोझ में कृषि श्रमिक की कोटि में आते जा रहे हैं, जिससे बड़े कृषक और भी धनी होते जा रहे हैं ।

गांवों में भ्रष्टाचार, लालच, दंगे, खून-खराबा, हिंसा, नैतिक पतन में तेजी से वृद्धि होती जा रही है । सामाजिक तनाव का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि अब सर्वहारा वर्ग यह महसूस करने लगा है कि उनका लम्बे काल तक शोषण किया गया है और वे अपने अधिकार को समझने लगे हैं । गांवों में मिलावट की समस्या भी शहरों के समान बढ़ती जा रही है, खाद्यान्न, मसाले, दवाईयों में तो मिलावट आम हो गई है ।

समुचित प्रौद्योगिकी/मध्यम प्रौद्योगिकी के अंतर्गत क्षेत्रीय संसाधनों एवं शिल्पकारों का उपयोग करना होता है । परन्तु इस क्षेत्र में अभी तक कोई उचित कार्यक्रम नहीं किया गया है । कुछ चीजें जिनको अंगुलियों पर गिना जा सकता है जैसे साइकिल, घड़ी, सिलाई मशीन, ट्रांजिस्टर, खाद, विद्युत का प्रभाव सीधे रूप से सभी ग्रामीणों पर पड़ा है । लेकिन मूल्यवान वस्तुओं के प्रभाव से काफी बड़ा भाग अछूता रह गया है । गांवों में अधिकांश लोगों की खरीद शक्ति कम होने के कारण प्रौद्योगिकी में सुधार (चाहे वह बैलगाड़ी ही क्यों न हो) बहुत कम लागत पर होना चाहिए । आज समुचित प्रौद्योगिकी के नाम पर जिन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है उनकी उत्पादन लागत अधिक है, जो आम ग्रामीणों की हैसियत के बाहर है, और इस प्रकार समुचित प्रौद्योगिकी अधिकांश लोगों के लिए एक नारा मात्र ही रह गई है ।

देश में लगभग 140 लाख बैलगाड़ियां हैं जो कि खेत से उत्पादित 80 प्रतिशत वस्तुओं को गोदाम, बाजार तक ले जाती हैं । बैलगाड़ी पर लगी कुल पूंजी (बैलों सहित) 3,000 करोड़ रुपये ही है जबकि आवश्यकता यह है कि इन बैलगाड़ियों की भार क्षमता में वृद्धि बैलों पर पड़ने वाले दबाव को कम तथा इसकी गति तीव्र करनी है । इसके लिए बैलगाड़ी के स्वरूप में सुधार इस तरह हो कि उसकी नगण्य शून्य या बहुत कम हो ।

साइकिल आम आदमी की सवारी को ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है । इसका उपयोग धान की कटाई-मड़ाई-मशीन, मूंगफली के छिलके उतारने वाले यन्त्र, पिस्टन पंप, लकड़ी एवं धातु की घुमाने वाली मशीनों में किया जा सकता है । साइकिल पावदान शक्ति से चालित इन सभी यन्त्रों का उपयोग तमिलनाडु क्रिस्चियन इकोनामिक लाइफ कमेटी, गुडी, मद्रास, के समुचित प्रौद्योगिकी केंद्र के द्वारा किया जा रहा है, जिसके प्रचार एवं प्रसार की आवश्यकता है ।

एक अनुमान के अनुसार खाद्यान्नों के समुचित भंडारन होने, गोदामों में सड़ने तथा फसल के कटाई से बाजार तक पहुंचने में 9.33 प्रतिशत खाद्यान्न नष्ट हो जाता है । इसी प्रकार सब्जियों एवं फलों का 20 से 40 प्रतिशत बाजार में पहुंचने से पूर्व नष्ट हो जाता है । इस प्रकार से नुकसान 'भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान' के द्वारा विकसित "ठंडा चैम्बर" के उपयोग से बचाया जा सकता है । इसको आसानी से, किसानों द्वारा क्षेत्रीय रूप से उपलब्ध पदार्थों से, 220 रुपये मात्र लागत में तैयार किया जा सकता है । आज आवश्यकता इनके प्रचार की है ।

इस समय देश में 11 "सेंटर फार डेवेलपमेंट आफ रूरल टक्नोलाजी" (सी० डी० आर० टी०) कार्यरत हैं, जिनका कार्य प्रौद्योगिकी विकास, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, तकनीकी साहित्य विकास, ज्ञान प्रसार तथा मानव संसाधन विकास है । इलाहाबाद में स्थित इंस्टीच्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड रूरल टेक्नोलाजी के द्वारा ऊर्जा के सतत् सनातन स्रोत, स्वच्छता हेतु शौचालयों आदि के विकास, पानी उठाने के यन्त्र, घरेलू उपयोग के सामान तथा कृषि यन्त्र विकास

**खुजली :—**

नीबू के रस में थोड़ा नोसादर मिलाकर खुजली वाले भाग पर लगाएं। एक सप्ताह लगाते रहें, खुजली का नामो-निशान नहीं रहेगा।

**जूंएं :—**

दो बड़े चम्मच अदरक के रस में उतना ही नीबू का रस मिला लें। इस लेप को सिर पर धीमे-धीमे लगा कर, किसी साफ सुथरे कपड़े से सिर बांध लें। अगले दिन सिर धो डालिए। सिर की सभी जूंएं, ढूंढे नहीं मिलेंगी।

**शिशुओं हेतु उबटन :—**

एक चम्मच मलाई, चार चम्मच नीबू का रस, 25 ग्राम बेसन, दस ग्राम तिल का तेल, एक चुटकी हल्दी मिला कर उबटन बना लें। छोटे बच्चे के मुंह पर मलिए। चाहें तो सारे शरीर पर मलिए। छोटे बच्चों को सुन्दर बनाता है, साथ ही, शरीर पर उगने वाले बालों को कम कर डालता है।

**पेचिश में :—**

सवा सौ ग्राम ताज़ा पानी में एक नीबू निचोड़ कर दिन में तीन बार पी लें, पेचिश से छुटकारा मिलेगा।

**दांतों के लिए :—**

नीबू के छिलकों को दांतों पर मलिए। जो काम दन्त मंजन नहीं कर पाता, वह काम ये छिलके कर दिखाएंगे।

नीबू के छिलकों में सेंधा नमक मिला कर दांतों पर रगड़िए। मुंह की बदबू भी नहीं रहेगी और दांत भी मोतियों-से चमक उठेंगे।

**गंजापन :—**

यदि आपका सिर गंजा होने लगा हो तो गंज वाली जगह पर नीबू मलिए, लाभ होगा।

**गर्भिणी के लिए :—**

काला नमक, काली मिर्च, नीबू पर बुरक कर चाटने से गर्भस्थ शिशु स्वस्थ सुन्दर पैदा होगा। साथ ही गर्भिणी स्त्री का आलस्य, अरुचि आदि दूर होंगे। एक पंथ और दो काज!

**पेट दर्द :—**

चीनी, अजवायन, नमक, जीरा, सभी दो-दो माशे, बारीक पीस कर मिला लें। इसमें थोड़ा नीबू निचोड़ कर थोड़े गरम पानी से लें। पेट-दर्द के लिए राम-बाण है।

**तिल्ली :—**

हर रोज़ एक नीबू, लाहोरी नमक के साथ कई दिन तक लेते रहें, तिल्ली रोग के लिए अचूक दवा है।

**सुन्दर चेहरा :—**

खीरे का रस, गाजर का रस और नीबू का रस, एक-एक चम्मच ले कर मिला लें। दस-पन्द्रह मिनट चेहरे पर लगाए रखें, फिर चेहरा धो लें। आपका चेहरा निखर उठेगा।

नीबू के लाभ और भी हैं, यथा प्रेशर-कुकर में, सब्ज़ी बनाते समय उसमें नीबू का छिलका डाल दें। आपका कुकर अन्दर से काला न होने पाएगा।

अपने फ्रिज में नीबू काट कर रखिए, फ्रिज की बदबू उड़न-छू हो जाएगी।

शहद की मक्खी, ततैईया, जहरीला कीड़ा, खटमल या मच्छर आदि काट खाएं तो काटी हुई जगह पर नीबू काट कर घिसने से आराम मिलेगा।

नीबू घर पर रखिए बड़े काम की चीज है। ☐

634—बी,
श्रीनगर कालोनी
शकूरबस्ती,
दिल्ली—110034

## चमत्कार

— रमन गुप्त

वहां दूर
आज से एक अर्से पूर्व
निरे बालू के टीले थे
मई—जून की भयंकर
काली—पीली आंधी थी।
रेल—इंजन में लगी पानी की टंकी से
ग्राम—बधुओं के घड़े नहीं भरते थे
बूंद—बूंद पानी के लिए
मरु—वासी तड़प—तड़प कर मरते थे
मगर अब देखिये
विज्ञान का चमत्कार
विस्फोट और मशीनों से
चट्टाने उड़ा रहे हैं
बंजर क्षित्र में
सड़कों और मढ़ियों के साथ-साथ
नहरें बना रहे हैं
वृक्ष रोपे जा रहे हैं
प्यासे रेगिस्तान में
देश के भगीरथ
पानी से लबालब भरी
गंगा ला रहे हैं।
मरु प्रदेश के वासी
कृतज्ञ भाव में कर रहे हैं
बार-बार नमस्कार।

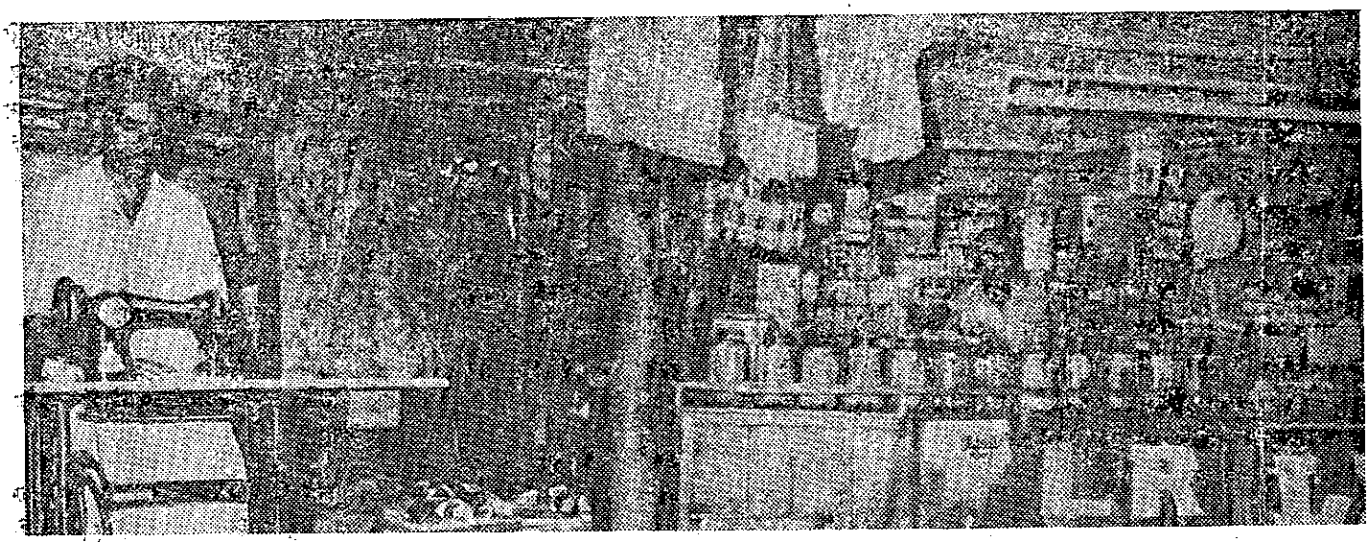

# कुछ अनजानी जीवनियां

कुछ लोग कहते हैं कि विकास कुछ अनजानी जीवनियों का समग्र रूप है। वास्तव में ऐसा ही है, क्योंकि तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली में इंडियन ओवरसीज बैंक की 70 ग्रामीण शाखाएं—हजारों छोटे और सीमान्त कृषकों, भूमिहीन मजदूरों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों तथा उन सभी लोगों का, जिन्हें गरीबी की सीमा से ऊपर उठने में बैंक ने सहायता दी है—जीवन बनाने में व्यस्त हैं।

जिले में अग्रणी बैंक होने के नाते इसने 81,274 किसानों को 20 करोड़ 29 लाख रुपयों की सहायता दी है। यह सहायता आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को भारी ऋण देने की योजना के अन्तर्गत दी गई। सन् 1983 में ही 38,500 लाभार्थियों को 99 करोड़ 25 लाख रुपयों का ऋण उपलब्ध कराया गया। जिले में इसकी 88 शाखाएं हैं, उनमें से केवल 18 शाखाएं ही शहरों में स्थित हैं।

जरूरतमंदों के लिए बैंक की "सेवांजलि" नाम की एक योजना है। सहायता प्राप्त करने योग्य व्यक्तियों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण और सहायता दी जाती है, ताकि वे एक नए जीवन का शुभारंभ कर सकें। चुने हुए लोगों को छोटी दुकानें, चाय के स्टाल, साइकिलें, किराये पर देने की दुकानें आदि खोलने के लिए बैंक की सहायता दी जाती है। बैलगाड़ी, बिजली से चलने वाला छिड़काव यंत्र जैसे आय के साधन भी जरूरतमंदो को उपलब्ध कराए जाते हैं।

शेनंबागपुरम का मुरुगन उन व्यक्तियों में से एक है, जिनका जीवन बैंक की सहायता से संवर गया है। उसने एक साइकिल और बिजलीचालित छिड़काव यंत्र खरीदा। साइकिल से उसकी गति बढ़ी। और शीघ्र ही उसने अच्छा व्यापार करना आरम्भ कर दिया। चूंकि सब्जी आदि जैसी घरेलू फसलों के लिए कीटनाशक की बहुत आवश्यकता होती है अतः मुरुगन की सेवाओं की निरन्तर मांग रहती है। मुरुगन ने आर्थिक पिछड़ेपन से अपने आपको बैंक की सहायता द्वारा उभार लिया है।

तरागमपथी का पलानीअप्पन भी ऐसा ही एक अन्य लाभार्थी है। वह एक फेरीवाला था। समयानुसार उसका विवाह हुआ। उसे अपनी आय बढ़ाने की आवश्यकता हुई। उसने बैंक से सहायता मांगी और प्रारम्भ में उसे अपना व्यवसाय बढ़ाने हेतु 3,000 रुपयों की सहायता प्राप्त हुई। उसकी दुकान में मिठाई से कमीज तक हर चीज मिलती है। उसका परिवार अन्य कई परिवारों से अधिक सम्पन्न है।

इसी गांव के अरुमुघम का पारिवारिक पेशा जूते गांठना है। उसके पिता पहले सड़क के किनारे अपना व्यवसाय करते थे। वे चप्पलों और जूतों की मरम्मत करके ही अपनी रोजी-रोटी चलाते थे। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सहायता और इंडियन ओवरसीज बैंक के ऋण द्वारा उन्होंने एक छोटी और यंत्रचालित जूते बनाने की इकाई खोली। अब उनकी आय 30 रुपये प्रति दिन से कम नहीं है और उनका व्यवसाय बढ़ रहा है। वे उन 1663 अनुसूचित जातियों के लोगों में से हैं जिन्हें "सेवांजलि" द्वारा लाभ मिला है। सन् 1983 में इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को एक करोड़ रुपयों की सहायता दी गई।

### अन्य साधन

जरूरतमंदों और कमजोर वर्गों को सहायता देने में केवल बैंक ही आगे नहीं आया। इसके लिए बसन्ती का मामला एक उदाहरण है। उसके पिता की आय अच्छी थी। मगर क्रूर विधाता ने उसकी यह खुशी छीन ली। जीवाणुजन्य बुखार के कारण वे चलने फिरने में असमर्थ हो गए। उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी और इधर-उधर कुछ कार्य करके रोजगार का प्रयास

शेष पृष्ठ 15 पर]

कृषि के पश्चात् हस्तकरघा उद्योग ही ऐसा धंधा है, जिसने गावों के लोगों को कम से कम साधन में अधिक से अधिक संख्या में रोजगार के साधन उपलब्ध कराके उनकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया है। उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो हस्तकरघा उद्योग के उत्पादों से न केवल सस्ते दाम पर स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है अपितु अपनी कारीगरी की विशेषता के कारण विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी सहायक होती है। यही कारण है कि हस्थकरघा उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अंग बन गया है।

इस समय देश में 38.5 लाख हस्तकरघे हैं, इनमें से अधिकांश संख्या लगभग 80 प्रतिशत अनुमानतः ग्रामीण क्षेत्रों में हैं जिन पर सूती, रेशमी तथा ऊनी कपड़ों की बुनाई एक सहायक मुख्य धंधे के रूप में की जाती है। शेष करघे शहरी क्षेत्रों में हैं जहां वे मुख्य व्यवसाय के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आसाम, मणिपुर तथा त्रिपुरा में 20.3 लाख बुनकर इस व्यवसाय को धार्मिक परम्परा के रूप में मानते हैं। इनमें अधिकतर स्त्रियां ही हस्तकरघों पर बुनाई का काम करती हैं। इस प्रकार एक करोड़ से भी अधिक लोग इसके माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से जीविकोपार्जन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त लगभग इतने ही और लोग हस्तकरघों से संबंधित तकनीकी, व्यवसायिक तथा अन्य सेवा क्षेत्रों में लगे हुए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में बुनकर उत्पादन एवं विपणन के आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण के अभाव में तथा उपभोक्ताओं के बदलते हुए परिवेश में रुचियों की उपेक्षा करते हुए परम्परागत तरीके से ही बुनाई का कार्य करते चले आ रहे हैं। इसका मुख्य कारण है उनकी निर्धनता एवं प्रशिक्षण का अभाव। निर्धनता के कारण ही लड़का अपने पिता के पास बैठकर बुनाई का कार्य सीखता है। उनमें उत्पादन एवं विपणन संबंधी ज्ञान का अभाव रहता है। इसी कारण आज भी वे लोग निर्धनता की रेखा से नीचे का जीवन बिता रहे हैं। इनके आर्थिक तथा सामाजिक जीवन को सुन्दर बनाने के लिए बुनकर सहकारी समितियां गठित की गईं परन्तु इन समितियों के गठित कर देने मात्र से ही उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती जब तक कि प्रीलूम और पोस्टलूम की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती।

इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 1952 में अखिल भारतीय हस्तकरघा बोर्ड की स्थापना की गई। बोर्ड ने इस बात पर विशेष बल दिया कि जब तक बुनकर पुराने तरीकों को छोड़कर आधुनिक तरीकों को नहीं अपनाएंगे तब तक न उनकी आमदनी बढ़ सकती है और न वे उपभोक्ताओं की मांग को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि हस्तकरघा द्वारा निर्मित वस्तु के होड़ में मिल तथा पावरलूम का उत्पादन अधिक हो सकता है तथा सस्ता भी पड़ता है। विश्व की वस्त्र प्रयोगशालाओं में हुई तकनीकी प्रगति का उनको ज्ञान रहता है, इस कारण उनका उत्पादन आधुनिक डिजाइनों से लैस होते हुए सस्ता भी पड़ता है। बोर्ड ने हस्तकरघा वस्त्रों के उत्पादन में एकरूपता, स्टेन्डर्ड गुण, नियंत्रण एवं आधुनिक डिजाइनों का आविष्कार आदि करने के लिए हैण्डलूम डेवलपमेंट एवं रिसर्च सेन्टर खोलने की योजना प्रांतों को दी। सलेम तथा बनारस में हस्तकरघा के उत्पादन में विशेषता लाने के लिए आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ हैण्डलूम टैक्नालोजी की स्थापना की गई।

बुनकरों को तकनीकी ज्ञान और अधिक देने के उद्देश्य से सर्वप्रथम बम्बई में 1956 में बुनकर सेवा केन्द्र की स्थापना की गई। प्रारम्भ में इसका नाम डिजाइन सेन्टर ही रखा गया है। अनुभवों के आधार पर बाद में ये सोचा गया कि केवल डिजाइन बना देने मात्र से ही बुनकरों का कल्याण नहीं हो सकता जब तक कि उन्हें तकनीकी सहायता एवं डिजाइन का हस्तकरघा पर प्रयोग उनके करघे पर नहीं सिखाया जाएगा। बाद में यह डिजाइन सेंटर बुनकर सेवा केन्द्र के रूप में निम्नलिखित उद्देश्यों को लेकर परिवर्तित किए गए :—

1. नए डिजाइनों को बनाना और हस्तकरघा उद्योग को देना।
2. निर्यात के लिए नमूने बनाने में सहयोग देना।
3. बुनाई के विभिन्न केन्द्रों में नुमाइश तथा संगोष्ठी का आयोजन करके उन्नतिशील डिजाइन तथा करघों के संबंध में लोगों को ज्ञान कराना।
4. विदेशों में भारतीय हस्तकरघा पर बने हुए वस्त्रों की लोकप्रियता बढ़ाने में प्रतिनिधित्व करना।

# बुनकर सेवा केन्द्र और हस्तकरघा उद्योग

* बी० एन० धवन

5. हस्तकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुनकरों को तकनीकी ज्ञान देने के लिए अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना।
6. बुनकरों के घर जाकर उनको तकनीकी ज्ञान देना।

उपरोक्त उद्देश्यों को लेकर बोर्ड ने 23 बुनकर सेवा केन्द्रों की विभिन्न राज्यों में स्थापना की। प्रत्येक केन्द्र में एक आर्ट स्टूडियो, ड्राइंग और प्रिन्टिंग प्रयोगशाला, बुनाई विभाग, पुस्तकालय तथा शो-रूम रखे गए।

### 1. आर्ट स्टूडियो

इसमें कुशल डिजाइनरों द्वारा परम्परागत डिजाइनों तथा स्थानीय तकनीकी साधनों को ध्यान में रखते हुए उनको आधुनिक डिजाइन में परिवर्तित करके नए डिजाइनों का रूप दिया जाता है। इस डिजाइन को

हस्तकरघा पर वास्तविक रूप देने के लिए ग्राफ तथा जाली पर डिजाइन बनाने वाले भी इस विभाग से संबंधित रहते हैं। स्क्रीन, प्रिंटिंग तथा ब्लाक प्रिंटिंग के लिए भी नए पैटर्न का आविष्कार भी इसी कक्ष में किया जाता है।

2. ड्राइंग कक्ष

इस कक्ष में कुशल तकनीकी कर्मचारियों द्वारा सूत को डिजाईन के अनुसार रंगा जाता है। यह प्रयत्न किया जाता है कि डिजाइन में रंग की उभारि के साथ ही साथ आंखों को अच्छा लगे। यह कक्ष विभिन्न प्रकार के नए रंगों के शेडों को जो सूती, रेशमी तथा ऊनी वस्त्रों पर प्रयोग किए जा सकते हैं, कार्ड के रूप में तैयार करता है तथा गांवों में जाकर वहीं सूत रंगने वालों को इन कार्डों के माध्यम से वैज्ञानिक तरीके से रंगने का काम सिखाता है।

3. बुनाई कक्ष

इस कक्ष में देश के प्रमुख बुनाई केन्द्रों से कुशल कारीगर लेकर रखे जाते हैं जो डिजाइनरों द्वारा तैयार डिजाइन को देश में प्रचलित विभिन्न प्रकार के प्रमुख करघों पर बुनाई का कार्य करते हैं। इनके कार्य को तकनीकी विशेषज्ञ देखते रहते हैं। इस कक्ष में नए पैटर्न इस आशा से तैयार किए जाते हैं कि वे परम्परागत लूम पर तैयार किए जा सकें। उत्पादन को बढ़ाने के लिए इन परम्परागत लूमों पर कुछ साधारण परिवर्तन कर दिया जाता है। गांवों में बुनकरों को नए उत्पादन सिखाने के लिए यहां के कर्मचारी बराबर गांवों में जाया करते हैं।

4. प्रशिक्षण कार्यक्रम

बुनकरों के लड़कों को नया तकनीकी ज्ञान कराने के उद्देश्य से चार माह का अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष में दो बार आयोजित किया जाता है। इन प्रशिक्षणर्थियों को छात्रवृत्ति भी दी जाती है।

5. शोरूम

बुनाई कक्ष द्वारा उत्पादित माल को बेचने के लिए शोरूम रहता है। इसी के साथ ही साथ पुरानी डिजाइन के नमूने नए नमूनों के साथ में रखे जाते हैं जिससे बुनकर इन नमूनों को देखकर कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें।

6. पुस्तकालय कक्ष

इस कक्ष में हस्तकरघा से संबंधित विषयों पर पुस्तकें रहती हैं। इसके माध्यम से हस्तकरघा से संबंधित समस्याओं का निराकरण लोग करते रहते हैं।

इस प्रकार देश भर में मार्च, 1981 तक 23 बुनकर सेवा केन्द्र भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन बुनकरों के उत्पादों में और उन्नति करने तथा इनके द्वारा उत्पादित माल को बाह्य देशों में भेजने के लिए 25 सघन हस्तकरघा विकास प्रोजेक्ट तथा 29 उत्पादन निर्माता प्रोजेक्ट की स्थापना की गई।

उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में परम्परागत डिजाइन को नया रूप देने के उद्देश्य से छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 9 नए बुनकर सेवा केन्द्र खोले जा रहे हैं जिसमें मुख्यतः गोहाटी, अगरतला तथा इम्फाल हैं। इसके अतिरिक्त यहां के क्षेत्र के बुनकरों के उत्पादन में विभिन्नता तथा उनको व्यापारिक आर्थिक इकाइयों में लाने के उद्देश्य से भारत सरकार गोहाटी में हस्तकरघा तकनीकी संस्थान खोलने की योजना का कार्यान्वयन करने जा रही है।

इस प्रकार सामाजिक स्तर पर होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों के प्रभाव को भलीभांति समझने और उनका मूल्यांकन करने तथा सामाजिक व्यवहार और वैज्ञानिक विकास में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप हस्तकरघा उद्योग को उन्नतिशील बनाने में बुनकर सेवा केन्द्र सबसे उद्यमशील है। बाह्य देशों के उपभोक्ताओं की रुचियों को ध्यान में रखते हुए बुनकर सेवा केन्द्र भारतीय कला को नया रूप देकर विदेशी मुद्रा अर्जित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यही कारण है कि जहां 1979–80 में सूती वस्त्र में 261 करोड़ रुपये तथा रेशम वस्त्रों में 49 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में अर्जित किए थे, छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक सूती वस्त्रों से 370 करोड़ रुपये तथा रेशम वस्त्रों से 100 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया है।

इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए तकनीकी संस्थान सलेम और वाराणसी में 52 से 85 स्थान त्रिवर्षीय डिप्लोमा कोर्स और 16 से 96 स्थान अल्पावधि कोर्स में बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही बुनकर सेवा केन्द्रों में 1976 में जहां 34 सत्रों का आयोजन किया गया था अब 164 सत्रों का आयोजन किया जा रहा है।

इन सब हस्तकरघा विकास के कार्यक्रमों से गांवों के विकास की नई दिशा प्रशस्त होगी। परिणामस्वरूप हस्तकरघा बुनकर के आर्थिक जीवन में पुनर्निर्माण का सुदृढ़ सुधार तैयार होगा। उनको नए अवसर मिलेंगे और ये सामाजिक न्याय के उद्देश्यों को पूरा कर सकेंगे। □

डी० एन० एस० सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय
बेली रोड, पटना—400014

---

कुछ अनजानी जीवनियां.....[पृष्ठ 13 का शेषांश]

करना पड़ा। उनका मामला खादी बोर्ड के सामने आया। बोर्ड ने उनकी पुत्री बसन्ती को एक अम्बर चर्खा दिया। अब वह अपने परिवार की आय बढ़ाने में योगदान कर रही है।

बैंक, खादी बोर्ड और अन्य संस्थाएं अब ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक ध्यान दे रही हैं। यह हो सकता है कि गांव से गरीबी को दूर करने के लिये हमें एक लम्बी दूरी तय करनी पड़े, मगर अब तक के प्रयासों से यह सिद्ध हो चुका है कि गरीबी अब अपराजेय नहीं है। □

# क्षेत्रीय-आर्थिक विषमता उन्मूलन के अस्त्र

# लघु एवं कुटीर उद्योग

मधुसूदन शर्मा

लघु एवं बड़े उद्योगों में अन्तर स्पष्ट करने के लिए विभिन्न मापदण्डों का प्रयोग किया जा सकता है। विनियोजित पूंजी, काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या एवं यांत्रिक शक्ति के उपयोग आदि के आधार पर यह वर्गीकरण किया जा सकता है; किन्तु अब श्रमिकों की संख्या एवं यान्त्रिक शक्ति के उपयोग की शर्तों को हटा दिया गया है। जुलाई, 1980 में भारत सरकार द्वारा लघु उद्योगों के सम्बन्ध में नई परिभाषा लागू की गई है। इस नई परिभाषा के अनुसार ऐसी समस्त औद्योगिक इकाइयां जिनमें विनियोजित पूंजी की मात्रा 20 लाख रु० से अधिक नहीं है लघु उद्योगों की श्रेणी में सम्मिलित की जाएंगी। विनियोजित पूंजी से यहां तात्पर्य केवल मशीनों एवं संयन्त्रों में विनियोजित पूंजी से होगा तथा भूमि व भवन आदि में विनियोजित पूंजी 20 लाख रु० की इस सीमा में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

सामान्य रूप से कुटीर उद्योगों से तात्पर्य उन उद्योगों से होता है जो व्यक्तिगत आधार पर घरों में परिवार के सदस्यों की सहायता से चलाए जाते हैं। इनमें न अधिक पूंजी की जरूरत है न अधिक साज-सामान की। आवश्यकता है स्थानीय कच्चे माल तथा कुशलता की। लघु व कुटीर उद्योगों के बीच थोड़ा-सा भेद है। लघु उद्योग का मुख्य आधार है यान्त्रिक विधियां तथा कुटीर की हस्त विधियां। लघु उद्योग के विक्रय का भौगोलिक क्षेत्र भी विस्तृत होता है जबकि कुटीर उद्योगों की वस्तुएं प्रायः स्थानीय बाजारों में ही बिक जाती हैं।

लघु उद्योगों का राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान होता है जितना कि बड़े उद्योगों का। विकसित राष्ट्रों में भी इनके महत्व को स्वीकार किया जाता है। ब्रिटेन, जापान, एवं अमरीका जैसे राष्ट्रों में बड़े उद्योगों के साथ-साथ छोटे उद्योगों को विकास का पर्याप्त अवसर दिया जाता है।

भारत गांवों का देश है, कृषि प्रधान अर्थ-व्यवस्था है, जनसंख्या के अधिक गति से बढ़ने के कारण भूमि पर दबाव बढ़ता जा रहा है एवं कृषक तथा कृषि पिछड़ी हुई दशा में ही है। पूंजी व तकनीकी ज्ञान का अभाव है। देश की 40 प्रतिशत जनसंख्या 32 वर्षों के योजनाबद्ध विकास के बावजूद भी गरीबी रेखा के नीचे का जीवन बसर कर रही है। देश एवं अदृश्य बेरोजगारी, तथा आर्थिक विषमता की समस्या भी विकराल होती जा रही है। अतः देश की इन परिस्थितियों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की उपयोगिता एवं सामयिकता को कम नहीं आंका जा सकता। 32 वर्षों का योजनाबद्ध विकास समस्याएं घटाने में सफल नहीं हुआ है इसलिए हमें निश्चित रूप से अपनी औद्योगिक नीति में मौलिक परिवर्तन करके इसे लघु एवं कुटीर उद्योग प्रधान बनाने की ओर मोड़ देना आवश्यक हो गया है।

डा० मिर्दल ने एशियन ड्रामा में कहा है कि भारत और उस जैसी परिस्थितियों वाले अन्य देशों के लिए विकेन्द्रित उद्योगों की पद्धति ही सर्वाधिक अनुकूल है। भारत की अर्थ-व्यवस्था को वह कहते हैं, पश्चिम की अर्थ-व्यवस्था का अनुसरण नहीं करना चाहिए और अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करने का ही उसका लक्ष्य होना चाहिए।

अतः बड़े उद्योग उन्हीं क्षेत्रों में रहें जहां उनका रखना राष्ट्र के सन्तुलित विकास के लिए जरूरी है।

आज हमारे देश में बेकारी की समस्या निरन्तर बढ़ती जा रही है जिसके समाधान के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। हमारे देश में—प्रमुखता : ग्रामीण क्षेत्र में, बेकारी की समस्या अधिक विकराल हो गई है। बेकारी की दृष्टि से अब लगभग सभी अर्थशास्त्री, सांख्यिकी शास्त्री, आर्थिक संयोजक, समाजशास्त्री और राजनीतिज्ञ एक मत हैं कि लघु उद्योगों एवं कुटीर उद्योगों के रूप में विकेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था के अलावा भारत जैसे गांव प्रधान राष्ट्र के लिए कोई विकल्प नहीं बचा है। सरकारी आंकड़े इसका प्रमाण हैं कि बड़े उद्योगों की अपेक्षा छोटे उद्योगों में रोजगार अधिक उपलब्ध होते हैं। अतः करोड़ों मूक लोगों की सहायता करने का कुटीर उद्योग ही एक मार्ग है। लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास से ग्रामीण बेरोजगारी में कमी होगी। कृषि पर जनसंख्या का दबाव कम होगा, कृषकों की माली हालत ठीक होगी, जिसके फलस्वरूप वे ऋणग्रस्तता से उभरेंगे एवं कृषि में

पूंजी का विनियोजन करके व्यावसायिक आधार पर कृषि कर सकेंगे। इसके परिणाम-स्वरूप जनसंख्या का गांवों से शहरों की ओर पलायन कम होगा। फलत: महानगरीय समस्याओं में कमी आएगी।

बड़े उद्योगों द्वारा अर्जित किए गए मुनाफे का अधिकांश भाग बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों को चला जाता है जिसके परिणामस्वरूप समाज में आर्थिक विषमता रूपी जहर फैलता जा रहा है जिस पर नियन्त्रण करना अत्यधिक कठिन हो रहा है। किन्तु श्रम-प्रधान उद्योगों का कार्य थोड़ी सी पूंजी से चल जाता है एवं लाभ की राशि मेहनत के अनुपात में सब व्यक्तियों में बंट जाती है फलत: आर्थिक विषमता की समस्या उत्पन्न नहीं होती ।

बड़े उद्योगों में औद्योगिक अशांति भी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, किन्तु लघु उद्योगों में मालिक व मजदूर में निकटतम सम्पर्क व सम्बन्ध होने से वे पारस्परिक समस्याओं से एक ओर भली भांति परिचित होते हैं तो दूसरी ओर इनका निवारण भी सरलता से हो जाता है।

औद्योगीकरण की एक और समस्या प्रदूषण की है जोकि विकराल होती जा रही है। किन्तु कुटीर उद्योगों में छोटे पैमाने पर होने वाले कामों में बाहर की ऊर्जा के स्थान पर हाथ की शक्ति का काफी प्रयोग होता है। अत: हवा पानी के प्रदूषण का सवाल ही कम उठता है।

हमारे देश में बड़े उद्योगों की स्थापना कुछ ही राज्यों एवं कुछ स्थानों पर ही केन्द्रित हो गई है, जबकि अन्य स्थान व राज्य पिछड़े हुए हैं। अत: देश के सभी स्थानों एवं राज्यों के विकास हेतु देश का सन्तुलित विकास करना अनिवार्य है। ऐसा लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास एवं विस्तार द्वारा सरलता से एवं सुविधा से संभव है।

भारतीय परिस्थितियों, आवश्यकताओं एवं समस्याओं पर विचार करने से यही निष्कर्ष निकलता है कि लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास हमारी अनिवार्यता है। हमारी औद्योगिक नीति की प्रवृत्ति यह होनी चाहिए कि जिन वस्तुओं का उत्पादन लघु एवं कुटीर उद्योगों द्वारा हो सकता है उनका उत्पादन इन्हीं उद्योगों के लिए सुरक्षित होगा तो हम निकट भविष्य में ही बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक विषमता असन्तुलित विकास की समस्या, महानगरीय समस्याएं इत्यादि से छुटकारा प्राप्त कर सकेंगे एवं तभी हम महात्मा गांधी के स्वप्नों का भारत देश बना सकेंगे।

**सहायक प्राध्यापक,**
**आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय**
**प्रबन्ध विभाग**
**राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर**

# हमारे कृषक मजदूर

कृषक मजदूर सभी,
मेहनतकश लोग
इन्हें नहीं लगता है
नफ़रत का रोग
महल ये बनाते हैं
फूल ये खिलाते हैं,
ये सच्चे अर्थों में
धरती सजाते हैं
सचमुच ये पूजनीय
देश के चिराग हैं
इनके ही दम से
खिले हुए बाग हैं

**अहद् प्रकाश,**
**भारतीय खाद्य निगम,**
**विधान सभा परिसर,**
**भोपाल-3**

# खुशहाल

गांव बन रहे अब खुशहाल
नहरों के बिछ रहे जाल।
घर में बिजली की उजियार
जैसे हो कोई त्यौहार।
भोर ही सूरज की लाली
चमकाये खेतों में हरियाली।

**गिरजा शंकर गुप्त,**
**गोला बाजार,**
**गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)**

# ग्रामीण विकास कार्यक्रम-दर्पण

**ग्रामीण क्षेत्रों का विकास एक जटिल कार्य है। इस ओर सरकार ने निरन्तर ध्यान दिया है। बीस-सूत्री कार्यक्रम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय का यह प्रयास है कि दरिद्रतम ग्रामीण परिवारों को अधिक से अधिक सहायता इस तरह दी जाए कि वे सर्वांगीण ग्रामीण विकास की मजबूत कड़ियां बन जाएं और उनका स्वयं का जीवन स्तर समानता की ओर बढ़े। ग्रामीण निर्धनता दूर करने के दो विशेष मार्ग-उत्पादन बढ़ाना और अतिरिक्त रोजगार के साधनों का सृजन करना, मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों का मूल मंत्र है। मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों और उपलब्धियों के बारे में सूचना सभी नागरिकों को पहुंचे, वे ग्रामीण निर्धनता दूर करने के प्रयासों में हाथ बटा सकें, इस उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूप रेखा और उनकी उपलब्धियों के अतिरिक्त वर्तमान काल में अपनाई गई कार्य-पद्धति यहां प्रस्तुत की गई है। आशा है कि यह सभी के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।**

ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक व आर्थिक ढांचे को मजबूत करना तथा ग्रामीण निर्धनता को कम करना है। ग्रामीण निर्धनता का निवारण छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85) के प्रमुख उद्देश्यों में से एक माना गया है। यह मंत्रालय ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिए दीर्घकालीन व्यूह-रचनाओं के निर्माण में भी संलग्न है। ऐसा बुनियादी ढांचा स्थापित करने की कोशिश की जा रही है जो ग्रामीण परिवारों की आमदनी बढ़ाने में मदद दे सके। दूसरी ओर ऐसे उपकरण भी प्रायोजित किए जा रहे हैं जिससे नई तकनीक, जो परिसम्पत्तियों की उत्पादकता में सुधार लाए, हस्तांतरित हो सके।

इस मंत्रालय द्वारा हाथ में लिए जाने वाले कार्यक्रम तथा प्रोत्साहित की जाने वाली गतिविधियां निम्न प्रकार हैं :—

ग्रामीण निर्धनों के लिए संसाधनों तथा आमदनी में अभिवृद्धि करने वाले कार्यक्रम जैसे समन्वित ग्रामीण विकास, ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं व बच्चों का विकास।

रोजगार के लिए पूरक अवसर प्रदान करने वाले निर्माण कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार गारन्टी योजना।

भूमि सुधारों से लाभ उठाने वाले भू–आवंटियों को धनराशि तथा अन्य सेवाएं प्रदान कर उन्हें समुचित सहारा व सहयोग देने के कार्यक्रम।

विशिष्ट–क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जैसे—सूखाग्रस्त क्षेत्रों का विकास तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम।

प्राथमिक तथा ग्रामीण हाट और गोदामों की एक शृंखला की सुविधाएं प्रदान करना जिससे कम उत्पादन करने वाले भी अपनी उपज की लाभप्रद कीमत प्राप्त कर सकें।

इस प्रकार के ढांचे की स्थापना करना जिससे तकनीक का सफल हस्तान्तरण हो सके, जैसे—ग्रामीण तकनीकी विकास परिषद्।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान तथा राज्य–स्तरीय शीर्ष प्रशिक्षण संस्थाओं को अधिक धनराशि की सहायता देकर उनके माध्यम से ग्रामीण विकास के संसाधनों को प्रौन्नत करना।

'कुरुक्षेत्र' पत्रिका द्वारा देश के विभिन्न भागों में चल रहे ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों की जानकारी का प्रसार करना तथा कार्यगोष्ठियों/सेमीनार या अध्ययन आयोजित कर ज्ञान की पारस्परिक जानकारी की अभिवृद्धि में योग देना।

कुछ योजनाएं जैसे ग्रामीण भूमिहीनों के लिए "ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम" ऐसी हैं जिसमें केन्द्रीय सरकार शत् प्रतिशत् सहायता प्रदान करती है। अन्य योजनाओं में राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों की पचास-पचास प्रतिशत हिस्सेदारी रहती है। विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा हाथ में लिया जाता है।

## संगठन

केन्द्र से प्रायोजित सभी निर्धनता निवारण कार्यक्रमों के लिए जिला स्तरीय संगठन की परिकल्पना की गई है। प्रत्येक राज्य सरकार का क्षेत्रीय स्तर पर विकास से संबंधित अपना ही एक प्रशासकीय तंत्र है। यह अनुभव किया गया कि वित्तीय और प्रशासकीय दृष्टि से यह अधिक सुसाध्य होगा कि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार के ढांचे के अन्तर्गत ही एक ऐसी स्वशासी संस्था बनाई जा सके जो राजकीय प्रक्रियाओं की कई बाधाओं से मुक्त हो। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए देश के हर जिले में एक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी० आर० डी० ए०) की स्थापना की गई। यह अभिकरण सहकारी समितियों के पंजीकरण एक्ट के अन्तर्गत है। डी० आर० डी० ए० जिले में क्रियान्वित किए जाने वाले सभी निर्धनता विरोधी कार्यक्रमों, विशेषकर केन्द्रीय सहायता से चलाए जाने वाले, के प्रति उत्तरदायी होने के अतिरिक्त, यह ऐसी स्वशासी संस्था भी है जो बुनियादी स्तर के कार्यकर्ताओं में अधिकारों के विकेन्द्रीकरण तथा अवक्रमण में मदद देगी। यह अपेक्षा की गई है कि इस अभिकरण में योजना निर्माण, परिवीक्षण, नियंत्रण तथा लेखाकरण—तीन खंड होंगे जो ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के लिए स्थानीय स्तर पर योजना बनाने का एक ढांचा तैयार करने में मदद देगा। ग्रामीण विकास अभिकरण पर विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत सहायता पाने के योग्य निर्धन परिवारों का चयन करने, इस मंत्रालय तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत उनके लिए कार्य योजनाएं तैयार करने तथा क्षेत्र में उन कार्यक्रमों की क्रियान्विति में गुणात्मकता तथा गति का निर्वाह करने का भी उत्तरदायित्व है।

## समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण निर्धनों को सीधे सहायता देने वाली एक मात्र विशाल योजना है। यह कार्यक्रम निर्धनतम व्यक्तियों के लिए है। इसका उद्देश्य निर्धनों को रोजगार उपलब्ध कराना तथा ऐसी उत्पादक परिसम्पत्तियां दिलाना है जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके तथा उनका जीवन स्तर उन्नत हो सके। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के लगभग 5000 विकास खंडों में से एक करोड़ पचास लाख परिवारों को इस योजना के अन्तर्गत लाया जाना है। छठी पंचवर्षीय योजना में एक विकास खंड से औसत 3000 परिवारों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता दी जाती है। इस कार्यक्रम के लिए योजना में 1500 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। बैंकों से चयनित लाभान्वितों को ऋण के रूप में 3000 करोड़ रुपये की राशि और देने की अपेक्षा है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। लाभान्वित होने वाले परिवारों में से कम से कम 30 प्रतिशत परिवार इन्हीं में से लिए जाने हैं। न्यूनतम 30 प्रतिशत सहायता और ऋण भी इन्हीं लाभान्वितों के लिए निर्धारित किया गया है।

अब तक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के द्वारा सारे देश में 11 लाख से भी अधिक परिवारों को सहायता प्रदान की गई है। जिन परिवारों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता दी गई है, उनमें से लगभग 40 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास योजना में जो उपलब्धियां हुई हैं, वे निम्न प्रकार हैं:—

**समन्वित ग्रामीण विकास योजना (आई० आर० डी० पी०) की प्रगति— समस्त भारत**

| क्र० सं० | विवरण | 1980–81 | 1981–82 | 1982–83 | 1983–84 (जनवरी, 84 तक) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कुल आबंटन (रु० लाखों में) | 25055.00 | 30066.00 | 40088.00 | 40088.00 |
| 2. | कुल व्यय (रु० लाखों में) | 15863.68 | 34464.92 | 35959.01 | 23660.44 |
| 3. | कुल सावधिक ऋण जो जुटाया गया (रु० लाखों में) | 28904.97 | 26759.01 | 71398.20 | 45705.50 |
| 4. | कुल विनियोजन जो जुटाया गया (रु० लाखों में) | 44768.65 | 73223.93 | 107357.21 | 69365.94 |
| 5. | लाभान्वित होने वालों की कुल संख्या | 2726747 | 2713418 | 3455447 | 2180896 |
| 6. | अ० जा०/अ० ज० जा० के लाभान्वित होने वालों की कुल संख्या | 781047 | 1000597 | 1405660 | 894895 |
| 7. | लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत | 90.69 | 90.25 | 114.93 | 31.77 |
| 8. | अ० जा०/अ० ज० जा० का कुल संख्या से प्रतिशत | 28.6 | 36.9 | 40.7 | 41.0 |

1980–81 में 289 करोड़ रुपये की साख प्राप्त हुई और मार्च, 1983 के अन्त तक 813 करोड़ रुपये की राशि साख के रूप में जुटाई जा सकी। अब तक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धनतम व्यक्तियों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए 2560 करोड़ रुपये की राशि का विनियोजन किया गया।

स० ग्रा० वि० यो० के अन्तर्गत लाभ उठाने वालों को आर्थिक रूप से सक्षम तथा बैंक सुविधा योग्य प्रायोजनाओं द्वारा सहायता दी जाती है। प्रायोजना की सक्षमता को बढ़ाने के लिए प्रायोजना की कुल लागत पर विभिन्न दरों से आर्थिक सहायता (सबसिडी) देय है। परिसम्पत्तियों की पूंजीगत लागत पर छोटे किसानों को 25 प्रतिशत तक तथा सीमान्त किसानों खेतिहर मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों व अन्यों को 33.33 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता (अनुदान) दी जाती है। एक परिवार 3000/- रुपये तक आर्थिक सहायता के रूप में प्राप्त कर सकता है। अनु० ज० जाति के लाभान्वित आर्थिक सहायता के रूप में 5000/- रुपये तक प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही योजनाओं की पूंजीगत लागत की 50 प्रतिशत तक की राशि पाने के हकदार हैं। बैंकों को 5000/– रुपये तक की राशि का ऋण बिना किसी जमानत अथवा गारन्टी के दिए जाने के लिए कहा गया है। उन्हें ये निर्देश भी दिए गए हैं कि ऋण प्रार्थना-पत्रों का जल्द से जल्द निपटारा कर दें। उनसे यह अपेक्षा की गई है कि वे ऋण प्रार्थना-पत्रों के निपटारे की प्रगति खंड विकास अधिकारियों तथा अन्य संबंधित कार्यकर्त्ताओं को प्रति मास भेजें।

ग्रामीण विकास को दीर्घकालीन आर्थिक आधार उपलब्ध कराने का भी प्रयत्न किया जा रहा है। इस प्रकार ये प्रायोजनाएं कालांतर में स्वनिर्भर हो सकेंगी। समन्वित ग्रामीण विकास जैसी योजनाएं जिनमें लाभान्वितों को बैंक तथा सरकार दोनों अभिकरणों से धनराशि प्राप्त होती है, प्रारम्भ करने के पीछे यही दृष्टिकोण था कि ग्रामीण निर्धन परिवार संस्थागत वित्तीय संस्थाओं को काम में ले सकें, उसे कर्जा देने वाले परम्परागत महाजन के चंगुल से निकाला जा सके जिससे उसका आर्थिक स्तर ऊंचा उठ सके। उसकी इस प्रायोजना में आगे मदद देने के लिए, आधारभूत सुविधाओं में सामुदायिक प्रायोजनाओं में प्रोत्साहन सुविधाओं तथा स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता भी दी जाती है।

## ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण

ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण की राष्ट्रीय योजना (ट्राइसेम) 1979 में ग्रामीण युवकों में बेरोजगारी दूर करने के प्रमुख उद्देश्य को लेकर प्रारम्भ की गई थी। इसका लक्ष्य देश भर में प्रत्येक विकास खण्ड से 40 नवयुवकों के हिसाब से लगभग 2 लाख युवकों को प्रति वर्ष प्रशिक्षित करना है। ट्राइसेम योजना समन्वित ग्रामीण विकास योजना का ही एक अंग और 18–35 आयु वर्ग के ग्रामीण नवयुवकों में ऐसे आवश्यक कौशल पैदा करने से सम्बन्धित है जिससे वे स्वरोजगार में लग सकें। ट्राइसेम योजना में लाभान्वित होने वालों के चयन का आधार उनकी कुल वार्षिक आय है। ऐसा ग्रामीण युवक जिसके परिवार की वार्षिक आय 3500 रुपये से कम है, चुना जा सकता है। इसमें प्राथमिकता उन्हें दी जाती है जिनका झुकाव नवीन तथा उद्यमी कार्य हाथ में लेने में है। अ० जा० तथा अ० ज० जा० तथा महिलाओं को भी इसमें प्राथमिकता दी जाती है। चयनित नवयुवकों को संस्थाओं की मार्फत एवं कुशल कारीगरों द्वारा प्रशिक्षण दिलाया जाता है।

प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को निम्न प्रकार से आर्थिक सहायता दी जाती है :—

(क) यदि प्रशिक्षणार्थियों के निवास की व्यवस्था कर दी जाती है तो उसे 150/– रुपये प्रति मास छात्रवृत्ति दी जाती है। यदि प्रशिक्षण प्रशिक्षणार्थियों के गांव में ही आयोजित होता है और उनकी निवास व्यवस्था भी नहीं की जाती है तो उसे 200/– रुपये प्रति मास छात्रवृत्ति देय है।

(ख) प्रशिक्षण देने वाले व्यक्ति/संस्था को प्रशिक्षण व्यय के लिए 50/– रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति मास तक दिया जाता है।

(ग) किसी कुशल कारीगर द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण देने पर 50/– रुपये प्रति कोर्स प्रति प्रशिक्षणार्थी पुरस्कार के रूप में दिया जाता है।

(घ) कच्चे माल के लिए 25/– रुपये प्रति व्यक्ति प्रति मास जो अधिकतम 200/– रुपये तक हो जाता है देय है, तथा

(च) प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को औजारों और अन्य आवश्यक सामानों का एक "किट" जो अधिकतम 500/–रुपये का हो, दिया जाता है।

अब तक प्राप्त सूचनाओं के आधार पर 4.7 लाख से भी अधिक, ग्रामीण युवक ट्राइसेम के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इनमें से 50 प्रतिशत से अधिक युवक प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद स्वरोजगार में लग गए हैं। इसका विवरण निम्न प्रकार है :—

| क्र० स० | वर्ष | प्रशिक्षित (लाखों में) | स्वरोजगार में हुए (लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1. | 1981–82 | 2.02 | .98 |
| 2. | 1982–83 | 2.44 | 1.29 |
| 3. | 1983–84 | 1.04469 | .55609 |

क्रियान्विति की इस गति को देखते हुए यह आशा है कि छठी पंचवर्षीय योजना के निर्धारित लक्ष्यों से भी यह संख्या बढ़ जाएगी। यह भी आशा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के ये प्रशिक्षत युवक ग्रामीण अर्थ व्यवस्था की तरक्की में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

## ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं व बच्चों का विकास

ग्रामीण महिलाओं के विकास की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए तथा विकास कार्यों में उनके सहभागित्व को बढ़ावा देने के लिए उन्हें समन्वित ग्रामीण विकास योजना में सम्मिलित करने तथा उन्हें भी "ट्राइसेम" के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने के अवसर देने के प्रयत्न किए गए हैं। समन्वित ग्रामीण विकास योजना का सीधा लाभ महिलाओं को, विशेषकर उन्हें जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं मिल सके, इस हेतु "ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं व बच्चों का विकास योजना" समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अंग के रूप में ही बनाई गई है।

"ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं व बच्चों का विकास (डी० डब्ल्यू सी० आर० ए० योजना) का उद्देश्य लक्षित परिवारों के महिला सदस्यों पर ध्यान केन्द्रित करना है ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके और उन्हें ऐसी सहायक सेवाएं कराई जा सकें जिससे वे अपनी आय बढ़ा सकें। यह डी० डब्ल्यू०सी० आर० ए० योजना लक्षित परिवारों की महिलाओं को निम्न प्रकार मदद करेगी :—

(क) महिलाओं को व्यक्तिगत सहायता देना ताकि वे समन्वित ग्रामीण विकास योजना (आई० आर० डी० पी०) के अन्तर्गत पहले से उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

(ख) जहां महिलाएं व्यक्तिगत रूप से इन सुविधाओं का लाभ उठाने में समर्थ नहीं हों वहां उन्हें एक जैसी सदस्याओं वाले ऐसे समूहों में संगठित कराना जिससे वे आर्थिक दृष्टि से सक्षम कार्य सामूहिक रूप से हाथ में ले सकें।

(ग) लक्षित परिवारों की महिलाओं को सहायक सेवाएं उपलब्ध कराना जैसे माताओं के काम पर लगे होने पर उनके बच्चों की देखभाल की व्यवस्था, कार्य करने की अन्य सुविधाएं, उचित उपकरण आदि की व्यवस्था जिससे वे अपनी कार्य कुशलता बढ़ा सकें तथा अपने श्रम के बोझ को और कम कर सकें।

(घ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के कार्य स्थलों पर बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल तथा परिचर्या की व्यवस्था के लिए बच्चों की देखभाल की सुविधाओं को संगठित करना।

यह योजना विभिन्न राज्यों के 51 जिलों के चयनित विकास खण्डों में क्रियान्वित की जा रही है जिनका विवरण नीचे दिया गया है। इस योजना के लिए वर्ष 1983–84 के लिए 2.00 करोड़ रुपये की राशि दी गई है।

**महिलाओं व बच्चों के विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लिए गए जिले :—**

| क्र० सं० | राज्य का नाम | जिलों का नाम |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | आदिलाबाद, श्रीकाकुलम और कड्डापा |
| 2. | असम | करबीएंगलोंग और धुबरी |
| 3. | बिहार | हजारीबाग, मधुबनी, गोपालगंज और समस्तीपुर |
| 4. | हरियाणा | महेन्द्रगढ़ और सिरसा |
| 5. | हिमाचल प्रदेश | कांगड़ा |
| 6. | कर्नाटक | बीजापुर और चिकमंगलूर |
| 7. | केरल | वामनाड और पालघाट |
| 8. | मध्य प्रदेश | शहडोल, छिंदवाड़ा, गुना और रायपुर |
| 9. | महाराष्ट्र | ओसमानाबाद और भंडारा |
| 10. | मणिपुर | केन्द्रीय जिले (इम्फाल, धोबल और बीशनपुर) |
| 11. | मेघालय | पश्चिमी खाशी हिल्ज़ और पूर्वी गारो हिल्ज़ |
| 12. | उड़ीसा | कालाहांडी, बोलांगीर, ढेन्कानाल और सम्बलपुर |
| 13. | पंजाब | गुरुदासपुर और भटिंडा |
| 14. | राजस्थान | बांसवाड़ा, पाली, भीलवाड़ा और अलवर |
| 15. | सिक्किम | पश्चिमी जिला |
| 16. | तमिलनाडु | धर्मापुरी और पेरीयार |
| 17. | त्रिपुरा | पश्चिमी जिला |
| 18. | उत्तर प्रदेश | बस्ती, बांदा, सुलतानपुर, इटावा और देवरिया |
| 19. | पश्चिम बंगाल | पुरुलीया और बांकुड़ा |
| 20. | गुजरात | अहमदाबाद और जूनागढ़ |
| 21. | जम्मू-कश्मीर | डोडा |
| 22. | नगालैंड | कोहिमा |

## राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०) का उद्देश्य गांवों में काम करने वाले व्यक्तियों को वर्ष के उन दिनों में जब काम की कमी रहती है, लाभप्रद रोजगार दिलाने के पूरक अवसर प्रदान कराना है। इसका उद्देश्य गांव की बुनियदी सुविधाओं को पुष्ट करने के लिए मजबूत सामदायिक परिसम्पत्तियां बनाना भी है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास होगा तथा गांव के निर्धन व्यक्तियों की आमदनी के स्तर में नियमित वृद्धि होगी जिसके परिणामस्वरूप गांवों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार हो सकेगा। छठी योजना में केन्द्रीय स्तर पर 980 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें राज्य सरकारों को आने वाले वर्षों में अपने बजट में उतनी राशि का प्रावधान करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (एन० आर० ई० पी०) के अन्तर्गत प्रति वर्ष 30 से 40 करोड़ श्रम दिनों का अतिरिक्त रोजगार पैदा किया गया है।

इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं :—

(क) देश-भर में इसकी क्रियान्वित जिला विकास अभिकरण को सौंपी गई है।

(ख) ग्रामीण समुदाय की अनभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हर विकास खण्ड/जिले की योजनाओं के "शेल्फ" तैयार किए जा रहे हैं। वास्तविक आवश्यकताएं विकास खण्ड अधिकारी के पास सीधे ही अथवा ग्राम सभा के माध्यम से भेजी जा सकती हैं। इस योजना के अन्तर्गत कार्य का निष्पादन यथासंभव पंचायती राज संस्थाओं की मार्फत होगा ताकि जिन कामों को हाथ में लिया गया है, वे स्थानीय जनता की आवश्यकताओं के पूर्णतः अनकूल हो सकें।

(ग) दस प्रतिशत संसाधन सीधे केवल अनसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लाभ के लिए ही अलग से निर्धारित कर दिए गए हैं। इसी प्रकार दस प्रतिशत संसाधन सामाजिक वानिकी के उपयोग के लिए निर्धारित कर दिए गए हैं।

प्रतिष्ठित व स्थायी स्वैच्छिक संगठनों को भी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०) के अन्तर्गत स्वीकृत हो सकने वाले कार्यों को करवाने का भार सौंपा जा सकता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जो परिसम्पत्तियां निर्मित की गई हैं, उनमें सड़कें, स्कूल, भवन, पंचायत घर, सामुदायिक सिंचाई, वृक्षारोपण आदि सम्मिलित हैं।

अब तक प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि श्रम दिवसों के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले में छठी योजना के पहले तीन सालों में प्रत्येक साल में 30 करोड़ श्रम दिनों से अधिक का रोजगार पैदा किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०) में जो उपलब्धियां हुई हैं वे निम्न प्रकार हैं :—

| वर्ष | कुल संसाधन जो उपलब्ध कराए (अनाज के मूल्यों को सम्मिलित करते हुए) (लाखों में) | कुल संसाधन जिनका उपयोग किया गया (अनाज के मूल्यों को सम्मिलित करते हुए) (लाखों में) | श्रम दिन जो सृजित हुए (लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1980–81 | 43186.32 | 21752.91 | 4130.56 |
| 1981–82 | 46037.03 | 31960.76 | 3540.52 |
| 1982–83 | 53999.52 | 38252.06 | 3500.09 |
| 1983–84 (31-1-84 तक) | 45263.81 | 21229.64 | 1853.40 |

## ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार गारंटी कार्यक्रम

एक नया कार्यक्रम जिसे ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार की गारण्टी का कार्यक्रम कहते हैं, अगस्त, 1983 से प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण भारत में हर भूमिहीन परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस कार्यक्रम (आर० एल० ई० जी० पी०) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 6 करोड़ तथा 1984–85 में 30 करोड़ और अतिरिक्त श्रम दिवस सृजित किए जावेंगे। ये उन 30–40 करोड़ श्रम दिवसों के अतिरिक्त हैं जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (एन० आर० ई० पी०) में प्रति वर्ष सृजित होंगे। जो प्रयोजनाएं चयनित होंगी वे ऐसे क्षेत्रों में लाग होंगी जो परम्परागत रूप से पिछड़े हुए हैं तथा जहां भूमिहीन बेरोजगार मजदूरों की संख्या अधिक है। यह सहायता क्षेत्र विशेष की वास्तविक आवश्यकताओं की सही जानकारी के पश्चात् ही दी जाएगी। राज्यों को धनराशि उसी सीमा तक आबंटित की जाएगी जिस सीमा तक वे बीस सूत्री कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यों के संदर्भ में उन प्रयोजनाओं को पूरा करने के लिए तैयार हैं। ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार गारण्टी कार्यक्रम में शत-प्रतिशत सहायता केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाती है। 1983–84 के शेष वित्तीय वर्ष के लिए 100 करोड़ रुपये की धनराशि तथा 1984–85 के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार गारण्टी कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसी मूर्त परिसम्पत्तियों का सृजन करना है जो उत्पादन में तेजी ला सकें। इनमें गांवों को जोड़ने वाली सड़कें बनाना, सिंचाई की नालियां बनाना, भूमि विकास ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाना, सामाजिक वानिकी, मिट्टी व जल संरक्षण आदि-आदि सम्मिलित हैं। सर्वोच्च प्राथमिकता पिछड़े इलाकों में श्रम प्रधान प्रयोजनाओं को दी जाएगी। इन्हें राज्य सरकारें तैयार करेंगी तथा केन्द्रीय सरकार स्वीकृत करेगी। यथा संभव मजदूरी का एक भाग अनाज के रूप में दिया जाएगा। इस कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०) द्वारा न केवल ग्रामीण जरूरत मंद भूमिहीनों की आय बढ़ाने में ही मदद मिलेगी, वरन् ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन संसाधनों को मजबूत करने वाली विशाल परिसम्पत्तियां भी सृजित होंगी।

जहां राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०) बेरोजगार या कम रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार के अवसर देता है वहां ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार गारण्टी कार्यक्रम (आर० एल० ई० जी० पी०) का उद्देश्य प्रत्येक भूमिहीन परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन तक का रोजगार दिलाना है। (आर० एल० ई० जी० पी) इसकी सम्पूर्ण धनराशि, केन्द्र सरकार द्वारा शत-प्रतिशत आधार पर दी गई है। राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों से यह अपेक्षा की गई है कि वे शीघ्र ही निश्चित कार्य योजनाएं तैयार करें तथा उसकी केन्द्र से सहमति व स्वीकृति प्राप्त करके क्रियान्वित करें। अब तक केन्द्रीय समिति द्वारा 374.69 करोड़ रुपयों की 108 प्रयोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

## भूमि सुधार

योजना निर्माण की प्रक्रिया के प्रारम्भ से ही भूमि सुधार, ग्रामीण व आर्थिक विकास की राष्ट्रीय नीति का एक मुख्य आधार रहा है। कृषि भूमि सम्बन्धी पुराना ढांचा कृषि के आधुनिकीकरण के लिए तथा समतावादी सामाजिक ढांचे के प्रतिकूल रहा है। अतः भूमि सुधार कार्यक्रम इस प्रकार बनाया गया है जो ग्रामीण भारत के पुराने सामाजिक आर्थिक ढांचे को तोड़ सके, कृषि के आधुनिकीकरण को अधिक बढ़ावा दे सके तथा कृषि सम्बन्धी उत्पादकता में वृद्धि कर सके। इससे यह सभी अभीष्ट था कि निर्धन किसानों तथा खेतिहर मजदूरों को अधिकतम संख्या में आर्थिक विकास की प्रक्रिया की मूल धारा में

लाया जाए। भारत जैसे देश में कृषि योग्य भूमि के एक टुकड़े का मालिक होना (चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो) एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक मूल्य रखता है। यह समाज के कमजोर वर्गों के स्तर को ऊंचा उठाने में मदद देता है और उनमें सामाजिक जीवन की मूल धारा से जुड़े रहने की एक भावना पैदा करता है। अतः भूमि सुधार कार्यक्रम को न केवल आर्थिक विकास का एक साधन माना जाना वरन् सामाजिक उन्नति का भी साधन माना जाना समुचित है।

बिचौलिए काश्तकारों की समाप्ति से पुराना सामन्ती ढांचा टूट गया है और लगभग 2 करोड़ किसान सीधे राज्य के अधीन आ गए हैं। लगभग 150 लाख एकड़ बंजर, पड़त तथा अन्य प्रकार की भूमि बिचौलियों से लेकर खेतिहर मजदूरों तथा सीमान्त किसानों में बांट दी गई है। अधिकांश राज्यों में मालिकाना हक काश्तकारों को दिए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप लगभग 77 लाख काश्तकार स्वामित्व के अधिकार प्राप्त कर चुके हैं।

कई राज्यों ने पांचवें व छठे दशक में ही भूमि की सीमा सम्बन्धी कानून बना लिए थे। परिणामस्वरूप 28 लाख एकड़ से भी अधिक भूमि राज्य के अन्तर्गत आ गई। तत्पश्चात् भारत सरकार द्वारा 1972 में कृषि भूमि की जोतों की सीमा निर्धारित करने के बारे में राष्ट्रीय मार्गदर्शक बिन्दुओं के अनुरूप ही भूमि की सीमा सम्बन्धी कानून पारित किए गए। ये कानून सख्ती से लागू किए जा रहे हैं। भूमि धारकों द्वारा प्रेषित 98 प्रतिशत मामलों का पहले ही निपटारा कर दिया गया है। इन कानूनों के अन्तर्गत लगभग 30 लाख एकड़ भूमि राज्य द्वारा प्राप्त कर ली गई है और इसमें से 20 लाख एकड़ से अधिक भूमि 15 लाख परिवारों को बांटी जा चुकी है। इस प्रकार पांचवें दशक से प्रारम्भ होने वाले इस कार्यक्रम में प्रारम्भ से ही लगभग 58 लाख एकड़ भूमि राज्य के अन्तर्गत आई है तथा 42 लाख एकड़ वितरित की जा चुकी है।

चूंकि भूमि सुधार का कार्य समाज के विभिन्न वर्गों के सम्पत्ति-सम्बन्धों में सुधार का प्रयत्न करता है, अतः यह दुष्कर कार्य है। इसलिए राज्य को धनी भूस्वामियों तथा निहित स्वार्थों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। भूमि सुधार के मामलों को अदालतों द्वारा चुनौती न दी जा सके, इस दृष्टि से काम में लाए जाने वाले कई विधायी और प्रशासकीय उपायों के बावजूद कई दलों ने रिट के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत अदालत में जाने के रास्ते निकाल लिए हैं तथा सीलिंग सम्बन्धी मामले रोके रखने में सफल हो गए हैं। 15 लाख एकड़ से अधिक भूमि मुकदमें में फंस गई है। अतः वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त प्राप्त की गई बहुत सी अधिशेष भूमि बहुत खराब प्रकार की है। केन्द्रीय सरकार भूमि वितरण के उपायों का नियमित रूप से परिवीक्षण कर रही है। हर राज्य के कार्य को बारीकी से परखा जाता है। सुधार के उपाय सुझाए जाते हैं और इसके लिए राज्यों से निरन्तर सम्पर्क रखा जाता है।

## सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी० पी० ए० पी०)

सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम (डी० पी० ए० पी०) जो पहले ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम (रूरल वर्क्स प्रोग्राम) कहलाता था, चौथी पंचवर्षीय योजना के दूसरे वर्ष (1970–71) में प्रमुखतया इस उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया था कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में श्रम प्रधान, उत्पादनोमुख कार्य जैसे मध्यम व लघु सिंचाई कार्य, भूसंरक्षण, वृक्षारोपण, सड़क निर्माण, पेयजल की प्रायोजनाओं के माध्यम से सूखा जनित स्थिति की गम्भीरता में कमी होगी। डी० पी० ए० पी० के प्रमुख उद्देश्य थे :—

(क) सूखे के प्रभाव की गम्भीरता को कम करना।

(ख) व्यक्तियों की, विशेषकर समाज के कमजोर वर्ग के व्यक्तियों की, आय को स्थिर करना, तथा

(ग) पर्यावरण के सन्तुलन की पुनर्स्थापना।

डी० पी० ए० पी० 1981–82 तक 13 राज्यों के 73 जिलों के 554 विकास खण्डों में लागू था। 1982–83 से यह 13 राज्यों के 70 जिलों के 511 विकास खण्डों में चल रहा था। जून 1980 में भारत सरकार द्वारा गठित एक कार्यकारी दल की अनुशंसा के आधार पर इस कार्यक्रम के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन किया गया। जो जिले इसके अन्तर्गत लिए गए हैं उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

### सूखाग्रस्त क्षेत्रों के अन्तर्गत लिए गए जिले

| क्र० सं० | राज्य का नाम | जिलों का नाम |
|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | अनंतपुर, चित्तूर, कुडापेट, महबूबनगर, कुरनुल, प्रकाशम्, नालगोंडा और रंगा रेड्डी |
| 2. | बिहार | मुंगेर, रोहतास, नवाधा, पालामाऊ और संथाल परगना |
| 3. | गुजरात | अहमदाबाद, अमरेली, भावनगर, जामनगर, कछ, पंचमहल, राजकोट और सुरेन्द्रनगर |
| 4. | हरियाणा | महेन्द्रगढ़ |
| 5. | जम्मू-कश्मीर | डोडा और उधमपुर |
| 6. | कर्नाटक | बीजापुर, बेलेरी, बेलगांव, चित्रदुर्ग, धारवाड़, कोलार, रायचूर, टमकुर, चिकमंगलूर, गुलबर्गा, बिदर |
| 7. | मध्य प्रदेश | खरजोन, झाबुआ, शहडोल, धार, सीधी और बेतूल |
| 8. | महाराष्ट्र | अहमदनगर, शोलापुर, नासिक, सांगली, सतारा, धुले, पूना, औरंगाबाद, जलगांव और बीड़ |
| 9. | उड़ीसा | फुलबनी, कालाहांडी, भोलागीर और संबलपुर |
| 10. | राजस्थान | अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर |
| 11. | तमिलनाडु | धर्मापुरी, रामनाथपुरम्, पादुकोयी, |
| 12. | उत्तर प्रदेश | मिर्जापुर, वारानसी, इलाहाबाद, बांदा, जालौन, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, गौंडा खेरी और सीतापुर |
| 13. | पश्चिम बंगाल | पुरुलीया, मिदनापुर और बांकुड़ा |

छठी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए 350 करोड़ रुपये का प्रावधान है जिसमें से 175 करोड़ रुपये राज्य मद में तथा 175 करोड़ रुपये केन्द्रीय मद में हैं। डी० पी० ए० पी० के कार्य की भौतिक प्रगति निम्नलिखित है :—

**डी० पी० ए० पी० की प्रगति समस्त भारत**

| क्र० सं० | कार्य बिन्दु | संचयी उपलब्धि 1-4-74 से 31-3-83 तक |
|---|---|---|
| 1. | भूमि व नमी संरक्षण (000 हैक्ट) | 1729.21 |
| 2. | सिंचाई संभाव्यता (000 हैक्ट) | 588.14 |
| 3. | वृक्षारोपण तथा चरागाह विकास | 462.18 |
| 4. | दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों के संगठन संख्या | 7392 |
| 5. | भेड़ सहकारी समितियों के संगठन (संख्या) | 1269 |
| 6. | सहायता दिए जाने वाले परिवारों की संख्या, अ० जा०/अ० ज० जा० परिवारों सहित (लाखों में) | 104.3 |
| 7. | रोज़गार सृजन (श्रम दिवस लाखों में) | 3185 |

## मरु विकास कार्यक्रम (डी० डी० पी०)

मरु विकास कार्यक्रम (डी० डी० पी०) मरुस्थल बढ़ने पर काबू करने तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों के व्यक्तियों में उत्पादन, आय तथा रोज़गार के स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से 1977-78 में प्रारम्भ किया गया था। इस उद्देश्य की पूर्ति निम्नांकित कार्यों के द्वारा की जानी थी :—

(क) वृक्षारोपण (शेल्टर बैल्ट में पौध लगाना, चरागाह विकास तथा रेत के टीलों के स्थिरीकरण पर विशेष बल देते हुए)।

(ख) भूगर्भ जल का विकास तथा उसका उपयोग।

(ग) जल एकत्रित कर सकने वाले ठेंकों का निर्माण।

(घ) ट्यूब वैल/पम्प सैट्स को चलाने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण; तथा

(ङ) कृषि, उद्यान, पशुपालन का विकास।

डी० डी० पी० में गरम और ठण्डे क्षेत्र सम्मिलित हैं। गरम मरुस्थल के 18 जिले तथा ठण्डे मरुस्थल के 3 जिले इस कार्यक्रम के लिए चुने गए हैं। चयनित क्षेत्रों के नाम इस प्रकार हैं :—

| क्र० सं० | राज्य | जिले |
|---|---|---|
| **गर्म मरुस्थली क्षेत्र** | | |
| 1. | राजस्थान | जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, पाली, बांडमेर, जालोर, बीकानेर, चुरू, झुंझनू, सीकर और गंगानगर |
| 2. | गुजरात | बांसकाठा और मेहसाना |
| 3. | हरियाणा | सिरसा, भिवानी, रोहतक और हिसार |
| **ठंडे मरुस्थली क्षेत्र** | | |
| 1. | जम्मू-कश्मीर | लेह और कारगील |
| 2. | हिमाचल प्रदेश | लाहोल स्पिती और किनौर |

डी० डी० पी० के प्रारम्भ होने से अब तक मुख्य भौतिक उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं :—

डी० डी० पी० के अन्तर्गत प्रगति—समस्त भारत

| क्र० सं० | क्षेत्र/प्रमुख सूचक | कुल उपलब्धि |
|---|---|---|
| 1. | **वृक्ष रोपण :** | |
| | (i) पौध लगाना, सड़कों के किनारे पौध लगाने को सम्मिलित करते हुए, चरागाह विकास, ईंधन व चारे के लिए पौध लगाना (हैक्टेयर) | 49130 |
| | (ii) शैल्टर बैल्ट (कि० मी०) | 27330 |
| | (iii) रेत के टीलों का स्थिरीकरण (हैक्ट०) | 10990 |
| | (iv) सड़क के किनारे पौधे लागाना (कि० मी०) | 622 |
| 2. | सिंचाई की संभाव्यता जो सृजित हुई (हैक्ट०) | 4376 |
| 3. | जल एकत्रित करने वाले टैंकों का निर्माण (संख्या) | 55 |
| 4. | **ग्रामीण विद्युतीकरण** | |
| | (i) ट्यूब वैल तथा पम्प सैट जिन्हें अर्जित किया गया (संख्या) | 500 |
| | (ii) गांव जिनका विद्युतीकरण किया गया (संख्या) | 500 |
| 5. | **कृषि** | |
| | मिट्टी का सर्वेक्षण (हैक्ट०) | 48448 |
| 6. | **पशुपालन** | |
| | (i) नए पशु चिकित्सालय/केन्द्र (संख्या) | 100 |
| | (ii) नए ऊन विस्तार केन्द्र (संख्या) | 24 |
| | (iii) नए स्थापित दुग्ध संचय केन्द्र (संख्या) | 197 |
| 7. | रोज़गार जो पैदा हुआ (श्रम दिवस—लाखों में) | 87.7 |

## ग्रामीण सड़कें

ग्रामीण सड़कों का विकास जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के उद्देश्य की प्राप्ति में एक महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचा है, राज्य क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम० एन० पी०) का एक भाग है—छठी योजना में राज्य क्षेत्र में एम० एन० पी० के अन्तर्गत गांव की सड़कों के लिए 1164.90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। छठी योजना में 150 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों तथा 1000 से 1500 की आबादी वाले 50 प्रतिशत गांवों को 1990 तक साल भर चलने वाली सड़कों से जोड़ने के प्रावधान की बात सोची गई है। इस प्रकार से जोड़े जाने वाले 50 प्रतिशत गांवों का कार्य 1985 तक पूरा कर लिया जाएगा। छठी योजना में भी पहाड़ी, आदिवासी, रेगिस्तानी एवं तटीय क्षेत्रों में जहां आबादी दूर-दूर बिखरी हुई है वहां गांवों के समूह बनाकर उन तक पहुंचने की नीति निश्चित की गई है।

विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्ध राशि को संकलित कर ग्रामीण सड़कों के सुधार के लिए सम्मिलित प्रयत्न किए जा रहे हैं।

## कृषि विपणन

कृषि उपज की लाभकारी कीमत प्राप्त हो सके इस उद्देश्य के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय अपने अन्य अभिकरणों जैसे विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डी० एम० आई०) जिसकी इकाइयां सारे देश में फैली हुई हैं, के द्वारा कृषि उपज की गुणात्मकता को नियंत्रित करने और बाजारों के विकास एवं नियमन के लिए कई योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है। कृषि विपणन के सुधार कार्य का प्रमुख बल निम्नांकित पर है :—

(क) अधिक बाजारों की व्यवस्था तथा अधिक वस्तुओं को नियमन के क्षेत्र में लाकर एक नियमित बाजार की व्यवस्था का विस्तार करना।

(ख) खुले नीलाम, व्यापार-पद्धतियां तथा बिचौलियों की सीमाओं की एक नियमित व्यवस्था की स्थापना के लिए परिपालन एवं निरीक्षण की व्यवस्था को सुनियोजित तथा पुष्ट करना।

(ग) ग्रामीण बाजारों एवं साप्ताहिक हाटों का विकास तथा ऐसे क्षेत्रों में जहां ऐसी सुविधाएं नहीं है समुचित दूरी पर ग्रामीण बाजारों की स्थापना करना।

अब तक लगभग सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों ने बाजारों के नियमन के लिए कानून पारित कर लिए हैं जिससे विपणन समितियों द्वारा संचालित नियमित बाजारों की स्थापना करना संभव हुआ है। इन समितियों में व्यापारी तथा उत्पादक दोनों का प्रतिनिधित्व है। वर्तमान में सारे देश में 5161 थोक मंडिया हैं जिनमें से 4830 इन नियमों के अन्तर्गत लाई जा चुकी हैं।

कृषि उपज के निर्यात को बढ़ाने के लिए लगभग 41 चयनित वस्तुओं का निर्यात से पहले अनिवार्यतः वर्गीकरण किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत 1981–82, 1982–83 में निर्यात के लिए वर्गीकृत की गई वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 412.48 तथा 529.30 करोड़ रु० (प्रोविजनल) था।

छठी योजना की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में 20 लाख टन की क्षमता वाले नए भंडार घर बनाना प्रस्तावित किया गया है। ग्रामीण गोदामों की एक राष्ट्रीय शृखला स्थापित करने का विशेष कार्यक्रम सहकारी समितियों, मार्केट कमेटियों एवं राज्य भंडार निगमों के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। ये गोदाम अनाज, अन्य कृषि उपज तथा जल्दी बिगड़ने वाली खाद्य वस्तुएं जैसे फल, सब्जियां तथा जानवरों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं के भंडारण की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। अपेक्षा की जाती है कि ये गोदाम किसानों द्वारा तंगी में अनाज की बिक्री को रोकेंगे, फसल के बाद परिवहन व्यवस्था पर रहने वाले दबाव को कम करेंगे, कृषि साधनों को लघु और सीमांत कृषकों को सुलभ कराएंगे, वस्तुओं की संख्यात्मक एवं गुणात्मक दृष्टि से होने वाली हानि को कम करेंगे, तथा फसल के बाद की अवधि में वर्तमान में उपलब्ध भंडारण क्षमता में वृद्धि करेंगे। 31–3–83 तक इस योजना की प्रगति निम्न प्रकार है :—

**ग्रामीण भंडारण प्रायोजना**

| क्र० सं० | विवरण | 1980–81 | 1981–82 | 1982–83 | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | गोदामों की संख्या | 1296 | 943 | 232 | 2471 |
| 2. | भंडारण की क्षमता (मी० ट० में) | 516232 | 501910 | 178436 | 1196581 |
| 3. | व्यय की गई राशि (रु० लाखों में) | 222.00 | 266.00 | 169.77 | 657.77 |

## जन सहयोग

विकासात्मक योजनाओं की सफल क्रियान्विति के लिए लक्षित परिवारों का सहभागित्व अनिवार्य है। यह ग्रामीण विकास के प्रयत्नों को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक तथा अराजकीय अभिकरणों को इसमें सम्मिलित करने से हो सकता है। ऐसी कई योजनाएं चल रही हैं—जहां ग्रामीण विकास के क्षेत्र में दक्षता प्राप्त संगठन, अतिरिक्त वित्तीय सहायता से और अधिक प्रायोजनाओं को हाथ में लेने में समर्थ हो सके। पीपुल्स एक्शन फार डेवलपमेंट इंडिया (पी० ए० डी० आई०) गैर-सरकारी साधनों से धन राशि प्राप्त कर उन्हें प्रतिष्ठित अराजकीय संस्थानों को ग्रामीण विकास योजनाओं की अभिवृद्धि के लिए देने के लिए प्रयत्नशील है। पी० ए० डी० आई० से कई स्वैच्छिक संगठनों को विभिन्न प्रायोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है।

## पंचायती राज

सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में मेघालय, नगालैंड, मिजोरम व लक्षद्वीप को छोड़ कर पंचायती राज की स्थापना हो चुकी है। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश तथा चंडीगढ़ में त्रिस्तरीय पद्धति ही चल रही है, यद्यपि इन राज्यों में जिला–परिषदों के स्थान पर जिला विकास परिषदें हैं। इन परिषदों को प्रशासकीय अधिकार नहीं हैं, ये परामर्शदात्री संस्थाएं हैं। शेष राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में या तो दो-स्तर वाली या एक ही स्तर की पंचायत राज की पद्धति विद्यमान है। देश भर में 216.051 ग्राम पंचायतें, 4,521 पंचायत समितियां तथा 291 जिला परिषदें हैं।

### ग्रामीण तकनीक विकास परिषद् (सी० ए० आर० टी०)

सी० ए० आर० टी० उचित तकनीक को विकसित करके देशभर के गांवों में हस्तांतरित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय स्तर पर एक समन्वयक के रूप में कार्य करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन स्थापित की गई है।

### प्रशिक्षण एवं अनुसंधान

विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण पर सरकार का निरन्तर ध्यान रहा है। हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एन० आई० आर० डी०) उसके लिए प्रमुख प्रशिक्षण संस्था है। एन० आई० आर० डी० ग्रामीण विकास के नए तरीके और संव्यूहन निकालने में निरन्तर सक्रिय रूप से कार्यरत है। विभिन्न स्तरों पर स्थित प्रशिक्षण के आधारभूत ढांचे को पुष्ट करने के लिए सहायता दी जाती है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के संबंध में अनुसंधान तथा मूल्यांकन अध्ययन करना भी एन० आई० आर० डी० का उत्तरदायित्व है। इस प्रकार के कई अध्ययन मंत्रालय ने सीधे एन० आई० आर० डी० द्वारा तथा अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा करवाए हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के व्यावहारिक ज्ञान के प्रसारण के लिए ही ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मासिक पत्रिका 'कुरुक्षेत्र' हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित की जाती है। मंत्रालय ग्रामीण विकास की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में सेमिनार और कार्यगोष्ठियां आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता भी देता है। □

# बैंक सहायता से अतोली गांव का कायाकल्प

बिहार राज्य के खगड़िया जिला में अतोली नाम का एक छोटा सा शान्त गांव था जो अब समुदाय विकास खण्ड कार्यालय के खुलने से एक शहर बन गया है।

गांव का विस्तार हुआ और इससे स्थानीय व्यापार और निर्माण की गतिविधियों में तेजी आई। लेकिन लोगों की स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। जब तक बैंक वहां नहीं पहुंचा वहां तब तक उनका कृषि आधार और भयंकर गरीबी की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभायी और थोड़े समय में ही अतोली प्रखण्ड के क्षेत्र में पांच शाखाएं खोली।

बैंक की अतोली शाखा ने छोटे और सीमान्त किसानों तथा अन्य कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता करने की दिशा में मुख्य भूमिका निभाई। यह क्षेत्र हरे चरागाहों से भरा है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत छोटे और सीमान्त 326 किसानों को कुल 7.50 लाख रुपये के ऋण उपलब्ध कराए गए। उन्होंने इस ऋण सहायता से दुधारु जानवर खरीदे और अब वे अभाव के दलदल से बाहर आ गए हैं। अन्य 146 किसानों को पम्प सेट खरीदने के लिए 5.81 लाख रुपये की राशि के ऋण दिए गए और 161 किसानों को फसल के लिए ऋण मिला। बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी आर्थिक सहायता 33 से 50 प्रतिशत तक रही लेकिन यह सहायता इस बात पर निर्भर थी कि लाभान्वित व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंध रखता है या नहीं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अतोली शाखा ने मछली पकड़ने के लिए चार मछुआरों को नावें खरीदने के लिए सहायता प्रदान की। प्रत्येक मछुआरे को 12,000 रुपये की राशि इस उद्देश्य के लिए दी गई।

अब इस छोटे शहर में संतोष और सुख का राज्य है जबकि कुछ समय पहले अतोली के लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। □

### शुद्धि

अप्रैल, 1984 अंक में पृष्ठ 10 पर छपा लेख **'थेशर को चलाते समय कुछ सावधानियां'** के लेखक का नाम **अक्षय कुमार जैन** के स्थान पर **'अमय कुमार जैन'** पढ़ें

मई, 1984 अंक में पृष्ठ 22 पर छपा लेख **'ग्रामीण युवकों की स्वःरोजगार योजना ट्राइसेम'** के लेखक का नाम **'नन्द किशोर जौहरी'** के स्थान पर **'कृष्ण कुमार जौहरी'** पढ़ें।


# शिशु एक सुख अनेक

# एक नहीं अनेक जनार्दन

बिहार के भोजपुर जिले के मशहूर बक्सर के मैदान में 5000 से भी अधिक पुरुष तथा स्त्रियां जमा थे। ये लोग बक्सर परगने के दूर-दराज के छोटे-छोटे गांवों से आए थे। उन्हें समाचार मिला था कि एक नई जिंदगी जीने के अवसर यहां पहुंचकर उन्हें उपलब्ध होंगे। यह एक नियमित मेला था तथा वहां पर जमा हुए लोगों के मध्य फल बेचने का जनार्दन का धंधा बड़े जोरों से चल रहा था।

इसी मेले में सात बैंकों की 51 शाखाओं द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया सार्वजनिक ऋण वितरण शिविर भी था। जनार्दन ने खुद भी पिछले वर्ष एक राष्ट्रीकृत बैंक की रामपुर शाखा से 1000 रु० का ऋण प्राप्त कर फल बेचने का व्यवसाय शुरू किया था। उसने काफी समय पहले अपना सारा ऋण भी चुका दिया था। उसने जब गरीब लोगों की एक बड़ी भीड़ को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बैंकों की सहायता से सुखी लोगों की श्रेणी में आ खड़े होने की आशा में उस कैम्प के आसपास देखा तो उसकी आंखों में सुखद भविष्य की दिलासा देने वाली वह चमक फिर से आ गई जो कभी खुद ऋण लेते समय उसकी आंखों में आई थी।

बैंकों ने उस भारी भीड़ में अनेक व्यक्तियों को नकद तथा पशुओं, साइकिल रिक्शों, मछली पकड़ने के जालों, चर्मकारी के उपकरणों एवं सिलाई की मशीनों के रूप में 1.32 करोड़ रु० के ऋण बांटे। ये ऋण समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बांटे गए। इस कार्यक्रम का मतलब ऋण लेने वाले नहीं जानते थे किंतु "बीस सूत्री कार्यक्रम" का मतलब वे लोग निश्चय ही जान गए। वे जान गए कि इस कार्यक्रम ने पहले भी उनकी तरह के कई लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया है और यह भी कि इस कार्यक्रम के बल पर वे भी जनार्दन की भांति एक सम्मान का जीवन जी सकते हैं और अपनी रोजी के लिए उनको दूसरों के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार में लाभार्थियों की संख्या वर्तमान वित्त वर्ष के पहले दस महीनों में पहले ही 2.42 लाख को पार कर चुकी है। इन्हें दिए गए ऋण 21 करोड़ रुपये से भी अधिक के हैं। इनमें से लगभग 57000 "जनार्दनों" ने केवल पिछले महीने में ही ऋण तथा अनुदान प्राप्त किए। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आगे भी ऐसे "जनार्दन" उत्पन्न करता ही रहेगा।

# ग्रामीण विकास एजेंसियां रेडियो और दूरदर्शन कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता देंगी

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री श्री हरकिशन लाल भगत ने "विकास के लिए संचार" प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कहा है कि यह आवश्यक हो गया है कि रेडियो और दूरदर्शन कार्यक्रमों की सोफ्टवेयर सामग्री के लिए ग्रामीण विकास एजेंसियां वित्तीय सहायता दें। इस अतिरिक्त धनराशि से रेडियो और दूरदर्शन कार्यक्रमों के संसाधन और सुदृढ़ होंगे।

उन्होंने कहा कि इससे उच्ची किस्म के कार्यक्रम बनाने में, जिसके लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, सहायता मिलेगी। यदि ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए आवंटित राशि का एक प्रतिशत भी इलेक्ट्रानिक माध्यम के सोफ्टवेयर कार्यक्रमों पर खर्च कर दिया जाए तो इसके बहुत अधिक प्रभाव होंगे। उन्होंने आगे कहा कि इलेक्ट्रानिक माध्यम तथा अन्य जन संचार माध्यमों में पहले से ही समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों में शामिल हैं।

मंत्री महोदय ने विकास और संचार के बीच सम्पर्क स्थापित करने पर बल दिया जिससे कि देश की प्रगति में तेजी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति के बावजूद आम लोगों के लिए संचार विकास कार्यों का विकल्प नहीं है इससे नीतियों पर अमल करने का काम आसान हो जाता है।

श्री भगत ने कहा कि संचार लोगों में ज्ञान का प्रसार करने तथा उनमें जागरूकता उत्पन्न करके उन्हें और अधिक

[शेष पृष्ठ 30 पर]

# समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

## एक अच्छी जिन्दगी का सन्देशवाहक

टी० वी० सत्यनारायणय

बाबूराम ने स्वप्न में भी यह विचार नहीं किया था कि वह एक अच्छे नस्ल की गाय खरीद सकेगा। वह एक बहुत ही गरीब खेतिहर मजदूर था जो जब कभी खेती बाड़ी का काम होता तब अपनी पत्नी सहित कमाया करता। उसकी और उसकी पत्नी की आमदनी इतनी कम थी कि वह मुश्किल से पांच सदस्यीय परिवार को जीवित रख सकने में सहायक होती क्योंकि खेती का काम कभी मिलता कभी नहीं।

जीत सिंह की हालत भी इससे कुछ भिन्न नहीं थी। यद्यपि उसके पास एक एकड़ जमीन थी परन्तु उससे प्राप्त आय उसके परिवार के खर्चे के लिए अपर्याप्त थी। वह जानता था कि उसकी जमीन की सिंचाई की व्यवस्था होने के बाद ही उसकी आमदनी में वृद्धि हो सकती थी। परन्तु सिंचाई के लिए पम्पसेट खरीद सकने में वह बिल्कुल ही असमर्थ था।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम दोनों के लिए ही वरदान साबित हुआ जबकि इसके अधीन बाबूराम के लिए एक उन्नत नस्ल की गाय जो अतिरिक्त आय और रोजगार का साधन बन सकी और जमीन सिंचाई के लिए पम्पसेट जिससे वह अपनी फसलों की सिंचाई कर सुखी जीवन बिता सके, की व्यवस्था हो सकी। वास्तव में गरीबी और निर्धनता के बीच स्वांस लेते हुए इस प्रकार के हजारों परिवारों के लिए यह कार्यक्रम सुखी, सम्पन्नता और एक नई आशा भरी जिन्दगी जीने का पैगाम लाया है।

ये परिवार आबादी के उन वर्गों में आते हैं जिन्हें नियोजित विकास के लाभ बिल्कुल ही नहीं मिल पाए हैं। हरित क्रांति की बात जो आर्थिक और दूसरे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण आंकी गई है, इनके लिए बहुत सार्थक साबित नहीं हुई है।

आबादी के सबसे निर्धन वर्गों को सुविधा प्रदान किए जाने के लिए पहले भी बहुत से कार्यक्रम चलाए जा चुके हैं। इन कार्यक्रमों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, गहन कृषि विकास कार्यक्रम, लघु किसान विकास एजेंसी, सीमान्त किसान विकास एजेंसी, संभावित सूखा क्षेत्र कार्यक्रम, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदि शामिल हैं। जबकि कुछ वर्गों के लिए कुछ लाभ पहुंचाने में ये अवश्य सफल हुए हैं, परन्तु सामान्यतः अपेक्षित परिवर्तन लाने में ये अधिक असफल नहीं रहे हैं। वर्षों तक बहुत सारे कार्यक्रमों को लागू कर उसके प्रभाव को देखने के बाद यह पाया गया है कि सामान्यजन तक पहुंचने के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम उन सभी में एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है।

योजना आयोग के अनुमान के अनुसार, इस देश में ग्रामीण क्षेत्रों के 48 प्रतिशत लोग और शहरी क्षेत्रों के 41 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। गरीबी और बेरोजगारी की दिशाओं और मात्रा का अंदाज जनगणना रिपोर्टों से भी लगाया जा सकता है। जिसके अनुसार छह लाख से भी ऊपर गांवों में हमारी आबादी के लगभग 80 प्रतिशत से भी अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 90 प्रतिशत लोग कृषि पर ही अपनी गुजर बसर करते हैं। इस तथ्य के अलावा भी कि देश में छोटे और सीमांत किसानों (दो हैक्टेयर से भी कम) की संख्या अधिकतम है। लगभग 1,000 लाख हैक्टेयर जमीन ऊसर या ऊसर के समान है और दूसरे 250 लाख हैक्टेयर जमीन ऐसी है जहां पर बाढ़ की आशंका बनी रहती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि देश के कुल खेती लायक क्षेत्रों का लगभग 70 प्रतिशत क्षेत्र ऐसा है जहां की खेती बिना किसी सिंचाई साधन के केवल अनिश्चित वर्षा पर निर्भर करती है। जब भी हम ग्रामीण गरीबी की बात करते हैं तब इसका आशय वैसे छोटे और कुछ बड़े किसानों से हैं जिनके पास खेती के साधन नहीं हैं, जो आसामी हैं, जो बटाईदार हैं, जो भूमिहीन मजदूर हैं और जो ग्रामीण काश्तकार हैं। इनमें से बहुत सारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं और ग्रामीण कामकाजी महिलाएं हैं जिनका वर्षों से अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया जाता रहा है।

ग्रामीण गरीबी की समस्या को समूल नष्ट करने के लिए आयोजकों ने अब तक किए गए सभी कार्यों के अलावा एक बहुत ही लक्ष्यपूर्ण कार्यक्रम को अनिवार्य समझा। इस प्रकार वर्ष 1978–79 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई जिसका लक्ष्य ग्रामीण गरीबों को आय प्राप्ति के साधन, ऋण और अन्य आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध करा कर जो उन्हें स्वमेव नहीं मिल सकती, गरीबी की रेखा से ऊपर लाना था। प्रारम्भ में यह कार्यक्रम देश के उन 2300 प्रखंडों में चालू किया गया था जहां पर लघु किसान विकास ऐजेंसी, संभावित सूखा क्षेत्र कार्यक्रम और कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे विशेष कार्यक्रम चलाए गए थे और बाद में वर्ष 1980 में गांधी जयन्ती पर सभी 5,011 प्रखंडों में इसका विस्तार किया गया था। फिर इसे 20-सूत्री कार्यक्रम का एक अंग ही बना दिया गया।

इस योजना अवधि के दौरान इस कार्यक्रम

का लक्ष्य 150 लाख परिवारों को सहायता पहुंचाने का था ताकि इसकी आय इतनी बढ़ जाए कि ये गरीबी की रेखा के ऊपर आ सकें। (पांच सदस्यों का परिवार जिसकी वार्षिक आमदनी 3500 रुपये से कम हो उसे गरीबी की रेखा की संज्ञा दी गई है)। इस कार्यक्रम से विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रिया कलापों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है जिससे कृषि, पशुपालन, छोटी सिंचाई योजना, रेशम के कीड़ों का पालन, बागवानी, मत्स्य पालन, लघु उद्योग और अन्य ऐसे कार्य शामिल हैं जिनसे इन लक्षित परिवारों की आय में वृद्धि होती हो।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की उपलब्धियों की रिपोर्ट से पता चलता है कि वर्ष 1980–81 में इसके विस्तार से उस वर्ष जनवरी तक 74 लाख परिवारों को सहायता दी जा चुकी है। ऋण और सहायता दोनों प्रकार दी गई धनराशि में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, इस बात का भरसक प्रयास किया जाता है कि लाभान्वित परिवारों में कम से कम 40 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के हों इस प्रकार लाभान्वित होने वाले परिवारों की संख्या के चुनाव में वृद्धि हो रही है।

यह कार्यक्रम सिद्धान्ततः निःसंदेह अच्छा है और इसने गरीब परिवारों में सबसे गरीब अधिकांश परिवारों की आशा और उम्मीद बढ़ाने की अपरिमित क्षमता का सबूत दिया है। तथापि इसके कार्यान्वयन पर कड़ी निगाह रखने से सफलता के बदलते हुए दृष्टिकोणों का आभास मिलता है और यह प्रखंड पदाधिकारी जो कि इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के शीर्ष पर विराजमान हैं, की प्रतिभा, कुशलता और साधनों के सदुपयोग पर निर्भर करता है। यह प्रखंड पदाधिकारियों और ग्रामीण स्तरीय कर्मचारियों के लिए सुनियोजित विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की आवश्यकता के महत्व को दर्शाता है ताकि खर्च किए गए प्रत्येक रुपये का अधिकतम लाभ प्रत्येक परिवार को मिल सके।

इस कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए निश्चय ही प्रखंड स्तर पर ग्रामीण विकास प्रशासन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रखंड स्तर पर विकास प्रशासन को सुदृढ़ करने और उच्च स्तर पर उचित देख रेख करने वाली इकाइयों के सृजन करने संबंधी राज्यों के बहुत से प्रस्तावों को स्वीकार किया है। यह भी पता चलता है कि बहुत से राज्यों ने इस कार्य के लिए अतिरिक्त व्यक्तियों की नियुक्ति अभी तक नहीं की है और कुछ ने तो प्रखंड स्तर पर प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने संबंधी प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने में तत्परता नहीं दिखाई है।

कार्यक्रम के विषयों की चर्चा करते समय हमें इस बात पर गौर करना भी उचित होगा कि लाभान्वित परिवारों के लिए केवल साधन की व्यवस्था करने मात्र या ग्रामीण उद्योग की स्थापना में मदद करना मात्र ही पर्याप्त नहीं है जब तक कि मूलभूत सुविधाओं के द्वारा इसके कार्य की उचित देख रेख नहीं की जाती। उदाहरण के लिए, ऐसे क्षेत्र के किसानों को पम्पसेट देने से जहां पर उसकी रख-रखाव और मरम्मत की सुविधा उपलब्ध न हो उसकी क्या उपयोगिता रह जाएगी। इसके अलावा, हम यह मान भी लें कि पम्पसेट ठीक प्रकार से रखा जाता है परन्तु किसान इसका पूर्णरूपेण उपयोग तब तक नहीं कर पाएगा जब तक कि समय पर अच्छे किस्म के बीज, उपयुक्त मात्रा में कीटनाशक खाद आदि न मिल सकेंगे और सबसे बढ़कर आधुनिक कृषि तकनीकी को अपनाने संबंधी ज्ञान के अभाव में इसका उचित इस्तेमाल असंभव है। इसका अर्थ है उपयुक्त सहयोगी सेवाएं या यों कहें कि कृषि विस्तार कर्मचारी या कृषि तकनीकी ज्ञाता, जिसे विस्तार कार्य का अनुभव हो और जो इस कार्यक्रम को सोत्साह समर्पित हो, की आवश्यकता है। यह उन्हीं स्थानों पर संभव है जहां पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, अन्य अनुसंधान संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केन्द्रों आदि संगठनों में आसानी से पहुंच हो। इन एजेंसियों के लिए यह एक अच्छी बात होगी कि वह इन संगठनों में पहले ही से उपलब्ध विशेषज्ञों की विभिन्न कृषि और तत्संबंधी कार्यों के लिए नीति निर्माण और कार्यान्वयन संबंधी सेवाएं प्राप्त करें। इसी प्रकार जिला ग्रामीण विकास सोसायटियों के लिए यह अच्छा होगा कि वह ग्रामीण कारीगरों के लिए नीति निर्माण और योजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी सहयोग विभिन्न तकनीकी संस्थानों जैसे भारतीय तकनीकी संस्थान, पोलिटेकनीक और इंजीनियरिंग संस्थानों से प्राप्त करें जिससे योजनाएं अधिक उपयोगी और आय प्राप्त करने लायक बनाई जा सकें।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत बहुत से खंडों में दुधारू पशु की सप्लाई करना एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। तथापि उत्तम परिणाम की प्राप्ति के लिए कार्यक्रम एजेंसियों के लिए यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि इस संबंध में कुछ जरूरी वस्तुओं की कमी न होने पाए। इसमें पर्याप्त मात्रा में भूसा उपलब्ध रहना, उन्नत नसल की व्यवस्था तथा अन्य पशुपालन सेवाएं शामिल हैं और इसी प्रकार दूध एकत्रित करने और बेचने की सुविधाओं का उपलब्ध होना भी आवश्यक है।

इसी प्रकार समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए चुने गए प्रत्येक आर्थिक कार्य के लिए यह भी आवश्यक है कि पैदा की गई वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार कार्य और उन्हें एकत्रित करने के लिए सुविधा जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ सहायक सेवाएं या मदद करने वाली सेवाएं उपलब्ध की जाएं।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का 'समन्वित' पहलू भी तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक कि गरीबों के लिए अन्य सामाजिक और शैक्षिक कार्यक्रमों जैसे अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, आहार संबंधी शिक्षा, वयस्क शिक्षा और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम से उन्हें परिचित न कराया जाए।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए ऋण वितरण का जहां तक संबंध है, आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले दो वर्षों में इसमें महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष 1981–82 में प्रति व्यक्ति दिया गया ऋण 1713 रुपये था जबकि इसके पिछले वर्ष में यह ऋण केवल 850 रुपये प्रति व्यक्ति ही था। ऋण दिए जाने की स्थिति से पता चलता है कि यह केवल कृषि कार्य के लिए ही लिया जाता है जबकि दूसरे और तीसरे प्रकार के आर्थिक क्षेत्र वित्तीय संस्थानों की प्राथमिकता में पीछे हट रहे हैं। इस असमानता में सुधार की आवश्यकता है।

महाराष्ट्र के वर्धा जिले में गांधीवादी विचारधारा के अनुसार जो कुछ भी किया जा रहा है वह संभवतः समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का सबसे सुन्दर उदाहरण है । पंजाबराव कृषि विद्यापीठ, अकोला, में यह कार्यक्रम भारतीय कृषि और अनुसंधान परिषद की प्रायोगिक अनुसंधान परियोजना के रूप में अपनाया गया है ।

जिले के कार्यक्रम-अधीन पन्द्रहों गांवों में सभी परिवारों के सामाजिक-आर्थिक पहलुओं के विस्तार पूर्वक सर्वेक्षण के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई । विशेषज्ञों द्वारा एक तकनीकी कार्यक्रम तैयार किया गया और ग्रामीण समुदाय के विचार और टीका-टिप्पणी के लिए उसे प्रस्तुत किया गया । इस कार्यक्रम को परिणाम वास्तव में देखने लायक है । नियोजित कृषि और कृषि में नई तकनीक के लागू करने से प्रत्येक किसान पहले से दुगुना उत्पादन करने में समर्थ था, फलतः तीन वर्षों में ही अपने पैरों पर खड़ा हो सकने में सफल हो सका । इस अवधि के दौरान कृषि कार्य में रोजगार की क्षमता में वृद्धि हुई और नई तकनीक के अपनाने से फसल में डेढ़ सौ प्रतिशत की वृद्धि हो गई । इसके साथ-साथ गांवों में ही दूसरे क्षेत्रों के नए बीज के इस्तेमाल से और भिन्न-भिन्न किस्मों के बीजों से एक-दूसरे से उत्पन्न कर उन्नत किस्म के बीज तैयार किए जाने लगे । अब तक बेकार पड़ी जमीन में भी अच्छी घास और चारा उगाया जाने लगा । इसी प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से आधुनिक दुग्धशाला के निर्माण के लिए एक मजबूत मूलभूत सुविधाओं का सृजन किया गया । इन गांवों में बागवानी विकास के कार्य को भी प्रोत्साहित किया गया । ग्रामीणों को कृषि से प्राप्त बेकार वस्तुओं को कम्पोस्ट खाद के रूप में बदलकर उत्पादन वृद्धि के लिए उन्हें पुनः प्रयोग करने की शिक्षा भी दी गई । गोबर गैस संयंत्र की स्थापना, स्वास्थ्य और तत्संबंधी शिक्षा, महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, (जो सामान्यतः सभी विकास कार्यक्रमों में सबसे पिछड़ा वर्ग है) तथा अन्य लाभदायक कार्यक्रमों की शुरुआत सभी प्रायोगिक अनुसंधान कार्यक्रम के पूर्ण हिस्से के रूप में है । उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि प्रत्येक सदस्य अनुभव करता था कि वह सहकारिता आन्दोलन का एक हिस्सा है न कि केवल मजदूर ।

केन्द्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, कोचीन द्वारा शुरू की गई परियोजना इसकी सफलता का दूसरा सराहनीय उदाहरण था । कोचीन के समीप व्यपीन टापू में वालाप्पू गांव के निवासियों को नई मत्स्य और कृषि तकनीकी की शिक्षा देकर और विकास के समन्वित साधन अपना कर संस्थान के वैज्ञानिक सबसे गरीब ग्रामीणों की सामाजिक और आर्थिक दशा के उत्थान में सफलता पाए । इसी तरह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ने होलम्बी कलां के पास के एक गांव में यह दिखा दिया है कि सीमांत किसान भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकते हैं बशर्ते कि उन्हें नई तकनीक की जानकारी और उत्पादन की नवीनतम खोज से परिचय करवाया जाए । इस गांव को एक बार देखकर ही यह पता चल जाता है कि यहां के निवासी किस प्रकार जो कभी गरीब थे अब आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तर पर इनमें पर्याप्त सुधार हो पाया है ।

देश के विभिन्न भागों में इसी प्रकार की सफलताओं की बहुत सी कहानियां भी अवश्य होंगी और जहां के लोग ग्रामीण विकास के प्रति समर्पित हैं और गरीब किसानों की दशा सुधारने के लिए उनकी सेवाओं में लगे हैं । समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और स्वः रोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देने संबंधी कार्यक्रमों की लगातार समीक्षा करते रहने की आवश्यकता है और यह देखने की जरूरत है कि इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है जिससे कि यह लोगों के लिए अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण बन सके । हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी और बेरोजगारी की जुड़वां समस्या का हल ढूंढना वास्तव में एक अद्भुत कार्य है । ग्रामीण विकास के प्रति समर्पित उन सभी के लिए उत्सर्गित और प्रतिबद्ध प्रयत्न का यह आह्वान करता है । □

**अनुवाद—माहेश्वर**
**ई—469 जे० जे० कालोनी,**
**इन्द्रपुरी, नई दिल्ली—110012**

---

**ग्रामीण विकास एजेंसियां रेडियो और दूरदर्शन** [पृष्ठ 27 का शेषांश]

विद्वान और जानकार बनाने का सबसे शक्तिशाली साधन है ।

श्री भगत ने कहा कि दूरदर्शन जिसकी अभी तक बड़ी सीमा तक शहरी क्षेत्रों तक ही पहुंच थी अब बड़ी संख्या में गांवों में पहुंचने लगा है और इस प्रकार देश की कुल 70 प्रतिशत जनसंख्या तक पहुंचने को तैयार है । इन्सैट 1बी की कार्यकारी क्षमता स्थापित हो जाने से हमारे देश के लिए भी छः राज्यों में सीधे ही घरों में दूरदर्शन प्रसारण सम्भव हो गया है । उन्होंने कहा कि यह आवश्यक है कि जागरूकता बनाने एवं शिक्षा के प्रसार के लिए सोफ्टवेयर पैकेज का विकास किया जाए ।

दूरदर्शन पर वैज्ञानिक कार्यक्रमों के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने कहा कि प्रो० एम० जी० मैनन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है । उनका विचार था कि समिति के सुझावों के अनुसार इलेक्ट्रानिक माध्यम से अच्छे कार्यक्रमों को प्रस्तुत करना होगा ।

मंत्री महोदय ने कहा कि भारत के पास विशेषज्ञों की विशाल क्षमता है और विशेषज्ञों का यह कर्तव्य है कि विकास के प्रयासों में सरकार की सहायता के लिए वे स्वयं स्वेच्छा से आगे आएं ।

मंत्री महोदय का विचार था कि इस प्रदर्शनी से युवा से लेकर बूढ़े सभी वर्गों के लोग एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सकेंगे । उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी से लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में संचार की भूमिका के महत्व को समझने में मदद मिलेगी । □

# केन्द्र के समाचार

## समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम द्वारा 26 लाख से अधिक परिवारों को सहायता

फरवरी, 1984 तक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत 26 लाख से भी अधिक परिवारों को सहायता दी गई। चार राज्यों—हरियाणा, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र ने शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया। हरियाणा का कार्य निष्पादन सर्वोत्तम रहा। इस राज्य ने अपने लक्ष्य का 146.2 प्रतिशत प्राप्त किया। छः अन्य राज्यों का कार्य निष्पादन 80 से 90 प्रतिशत के बीच रहा। कार्य निष्पादन की दृष्टि से मेघालय और जम्मू व काश्मीर की उपलब्धि सबसे कम रही।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम द्वारा गत फरवरी तक 22 करोड़ श्रम दिवसों के बराबर रोजगार के अवसर जुटाए गए। सिक्किम अपने लक्ष्य का 303.5 प्रतिशत प्राप्त कर प्रथम स्थान पर रहा तथा 217 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर नगालैण्ड दूसरे स्थान पर रहा। संघ शासित क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और मणिपुर ने भी अपने लक्ष्य से अधिक प्राप्त किया तथा कर्नाटक व तमिलनाडु ने लक्ष्य का लगभग क्रमशः 97 प्रतिशत तथा 91.3 प्रतिशत प्राप्त किया। मेघालय की उपलब्धि सबसे कम रही, इसने मात्र 7.4 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया।

गुजरात ने भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में अतिरिक्त भूमि आबंटन करके रिकार्ड कायम किया है। इसने भूमिहीनों को 29,016 एकड़ भूमि आबंटित की जबकि लक्ष्य 10 हजार एकड़ आबंटित करने का था। देशभर में अब तक 1 करोड़ 36 लाख 97 हजार एकड़ भूमि आबंटित की जा चुकी है। गुजरात के बाद राजस्थान की उपलब्धि सर्वाधिक रही। इस राज्य ने 198 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश, असम और पंजाब ने अपने लक्ष्य से अधिक की प्राप्ति की तथा तमिलनाडु ने 97.6 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की इस क्षेत्र में प्रगति बहुत बढ़िया नहीं रही।

विगत फरवरी के अंत तक तमिलनाडु और बिहार में बंधुआ मजदूरों के मामले में शत प्रतिशत से अधिक लक्ष्य प्राप्त किया गया। मध्य प्रदेश ने 99.2 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश की उपलब्धि सबसे कम रही, केवल 5.2 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया।

## ग्रामीण विकास के लिए हरियाणा को खाद्य सहायता

भारत सरकार और विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसके अंतर्गत भारत को विश्व खाद्य कार्यक्रम से 7.61 करोड़ रुपये मूल्य की खाद्य सहायता मिलेगी। समझौते पर भारत सरकार की ओर से कृषि और सहकारिता विभाग में अपर सचिव श्री के० सी० एस० आचार्य और विश्व खाद्य कार्यक्रम की ओर से उसके प्रतिनिधि श्री माइकेल प्रिस्टले ने हस्ताक्षर किए।

विश्व खाद्य कार्यक्रम सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत 17,904 मी० टन गेहूं, 1,790.4 मी० टन वनस्पति तेल और 1,790.4 मी० टन दालों की सहायता दी गई। इस सहायता का उपयोग महेन्द्रगढ़ जिले में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चल रहे कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा।

अगले तीन वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों को औसतन 14,455 श्रमिकों को प्रति वर्ष 200 श्रम दिवस के बराबर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। विश्व खाद्य कार्यक्रम श्रमिकों को पोषक आहार के रूप में आहार उपलब्ध कराया जाएगा और जिले के विकास में उनके परिवारों का भी सहयोग लिया जाएगा ताकि जिले को शेष हरियाणा के औसत सामाजिक आर्थिक स्तर तक लाया जा सके। विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता का उपयोग शुष्क भूमि खेती, लघु सिंचाई, दुधारू पशुओं के सुधार, सामुदायिक सम्पत्ति बनाने, नलकूपों को चालू करने और जिले में एक आवर्ती कोष बनाने के लिए किया जाएगा।

विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता से 97 लाख रुपये की एक लघु परियोजना जिले में पहले ही चल रही है और इसके अगस्त 1984 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

## पांच हजार गावों को धुएं से छुटकारा

गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग ने 5,000 गांवों को धूम्र रहित बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उन्नत चूल्हों का प्रदर्शन करने की राष्ट्रीय परियोजना आरंभ की है। 1983-84 के कार्यक्रम में 1,000 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, 1,000 धुआं रहित गांव तथा 1.03 लाख उन्नत चूल्हे लगाना शामिल है। 1984-85 के कार्यक्रम में 4,000 शिक्षण पाठ्यक्रम 4,000 धुआं रहित गांव तथा 4 लाख उन्नत चूल्हों की स्थापना शामिल है। इसके साथ ही वर्ष 1983-84 में 75 हजार से अधिक बायोगैस संयंत्रों की स्थापना किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक स्थापित किए गए संयंत्रों की देखभाल के लिए खादी और ग्राम उद्योग आयोग को इन संयंत्रों का सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया है।

## उड़ीसा में ग्रामीण विकास योजनाएं

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री हरिनाथ मिश्र ने लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि उड़ीसा के मयूरभंज

जिले में समन्वित ग्रामीण कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

मंत्री महोदय ने आगे बताया कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1-4-1981 से लेकर दिसम्बर, 1983 तक 36,982 परिवारों को सहायता दी गई। इस अवधि में 3 करोड़ 51 लाख 74 हजार रुपये खर्च किए गए और 3 करोड़ 77 लाख 2 हजार रुपये के ऋण जारी किए गए। मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सम्पूर्ण उड़ीसा के लिए जनवरी, 1984 तक 7 करोड़ 80 लाख 52 हजार श्रम दिवसों के बराबर रोज़गार के अवसर जुटाए गए।

## ग्रामीण विकास की गतिविधियों में तेजी

वर्ष 1983-84 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्य क्रम के अन्तर्गत कार्यकलापों में तेजी आई है। यद्यपि इन गतिविधियों के लिए बजट में दो अरब दो करोड़ रुपये की व्यवस्था है, लेकिन वास्तविक रूप में 199.63 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया है। इस प्रकार आबंटित राशि का लगभग 98.8 प्रतिशत उपयोग किया गया।

अच्छे कार्यनिष्पादन को देखते हुए अच्छे नौ राज्यों को इस वर्ष 1984-85 के लिए आबंटित राशि में से अग्रिम राशि के रूप में अनुदान दिए गए हैं। राज्यों द्वारा इस राशि का अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषकर असम ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अपने कार्यनिष्पादन में सुधार किया है। राज्य को इस कार्यक्रम के लिए शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई। फरवरी 1984 तक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 की अवधि में कुल 26 लाख 31 हजार लोगों को लाभ पहुंचा। इसमें से 10 लाख 77 हजार व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के थे। इसकी तुलना में वर्ष 1982-83 की इसी अवधि में 22 लाख 71 हजार लोग लाभान्वित हुए थे जिसमें से 9 लाख 24 हजार व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति के थे।

## ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए मानदण्ड

निर्माण व आवास मंत्रालय ने पानी की आपूर्ति के लिए जो मानदण्ड निर्धारित किए हैं उनके अनुसार उन आवासों में जहां पानी के कनेक्शन देने का प्रस्ताव नहीं है, हैण्ड पम्पों तथा स्टैंड पोस्टों के माध्यम से प्रति दिन 40 लिटर प्रतिव्यक्ति के हिसाब से पानी की आपूर्ति की जाएगी। जिन आवासों में पानी के कनेक्शन देने का प्रस्ताव है उनमें प्रति दिन 70 लिटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से जल आपूर्ति की व्यवस्था है। समन्वित पेयजल योजना तथा सफाई दशक कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपों द्वारा जल आपूर्ति के लिए प्रति दिन 25 लिटर से 70 लिटर पानी की प्रति व्यक्ति आपूर्ति का मान दण्ड निर्धारित किया गया है।

हैण्ड पम्प व नलकूप कार्यक्रम के अंतर्गत 2 सौ से 3 सौ तक की जनसंख्या के लिए एक नलकूप की व्यवस्था है।

पहाड़ी क्षेत्रों में स्टैंड पोस्टों की संख्या स्थान की ऊंचाई तथा गांवों की दूरी पर निर्भर करेगी। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जिन गांवों में पीने के पानी की समस्या है उन गांवों में स्वच्छ पानी का कम से कम एक स्रोत उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। पानी की कमी वाले गांवों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने के बाद दशक कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण आबादी सहित देश की शत-प्रतिशत जनसंख्या को मार्च 1991 तक पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। □

# पेड़

धरती के शृंगार पेड़ हैं,
जीवन के आधार पेड़ हैं।

पेड़ हमें छाया देते हैं,
और हवा देते हैं ताजा।
कैसे सुन्दर लगते जैसे,
हों जंगल के महाराजा।

जंगल के दरबार पेड़ हैं,
पंछी के घरबार पेड़ हैं।

जहां पेड़ हैं, शीतलता है,
शीतलता से बादल झरते।
सूखी धरती हरियाली है,
ताल तलैया सारे भरते।

हरियाली के हार पेड़ हैं,
खुशहाली के द्वार पेड़ हैं।

फूल और फल हमको देते,
मेवों से भर देते झोली।
लकड़ी और कोयला बनते,
बनते अरथी, बनते डोली।

अंग अंग उपकार पेड़ हैं,
सेवा के अवतार पेड़ हैं।

**भगवती लाल व्यास**
प्राध्यापक
लोक मान्य तिलक टीचर्स कालेज,
डबोक (उदयपुर)-313022

# जलोत्थान योजना

# हाइड्रम

रामस्वरूप जोशी

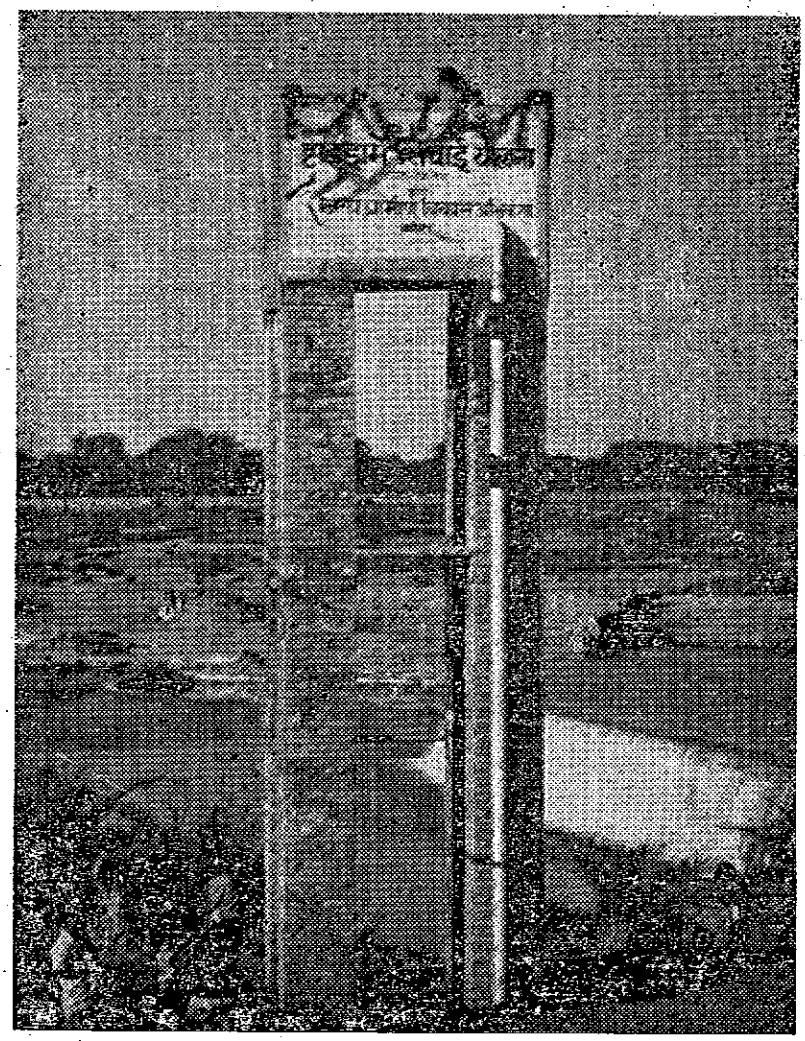

सामोद तहसील के अमृतखेड़ी के किसान श्री रफीक बड़े हंसकर कहते हैं कि न डीजल, न बिजली, न टूट-फूट न मरम्मत का खर्चा—और खेत को सीधा पानी नदी से मिल रहा है। श्री रफीक ने बताया कि उजाड़ नदी पर बने एनीकट पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा हाइड्रम जलोत्थान योजना प्रदर्शन के तौर पर लगाई गई है। जनवरी में चालू की गई योजना से श्री रफीक ने सात बीघा भूमि में चने की फसल में पानी लिया है।

इसी प्रकार इब्राहीम व लुकमान ने भी बताया कि दोनों ने सात-सात बीघा में गेहूं की फसल में बिना कोई राशि व्यय किए सिंचाई की है।

हाइड्रम एक जलोत्थान योजना है, जो नदी के किनारे एनीकट के पास बनाई जा सकती है। एनीकट में पाइपों के द्वारा पानी निकाल कर एक पंखा चलता है, जिसमें पानी ऊपर चढ़कर टंकी में जाता है, फिर टंकी से यह पानी खेतों को पहुंचाया जाता है।

अमृतखेड़ी में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कोटा द्वारा प्रदर्शन योजना के तहत लगभग 60 हजार रुपये व्यय कर हाइड्रम योजना जनवरी माह में पूर्ण हुई। इससे कृषकों ने 43 बीघा भूमि में गेहूं व चने की फसलों की सिंचाई की।

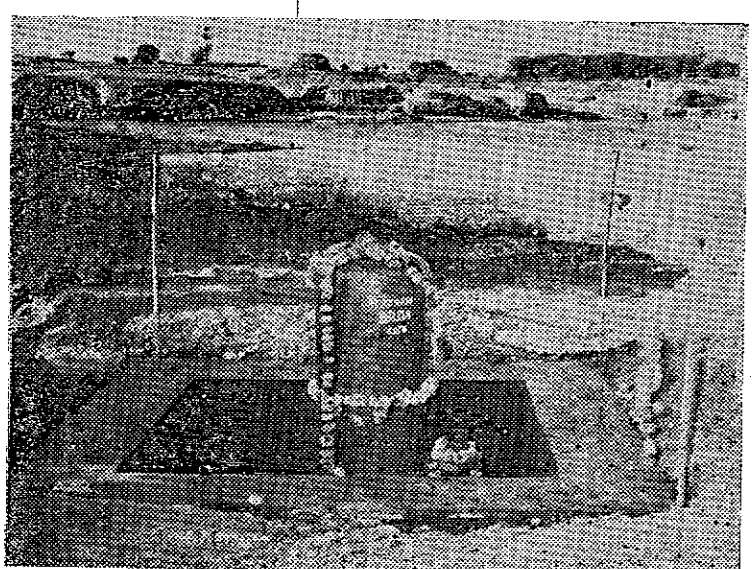

श्री लुकमान ने कहा कि इसके द्वारा निरन्तर पानी मिलने से वे सब्जी की फसल लेने का विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाइड्रम योजना छोटे-2 कृषकों के लिए अत्यंत लाभदायक है, क्योंकि चौबीस घण्टों में दो बीघा भूमि सिंचित होती है। अतः इसके लिए यह भी आवश्यक है कि जो हम योजना का लाभ उठाएं—उनके तहत फसल बोने में दो-दो —तीन-तीन दिन का अन्तर रहे।

श्री घनराम ने कहा कि राज्य सरकार छोटे-छोटे कृषकों को अनुदान सहायता देकर एनीकटों के समीप इस प्रकार की योजना बनाए तो कई कृषक इसे अपनाने को तैयार होंगे तथा कृषकों पर लगातार भार नहीं पड़ेगा तथा डीजल व विद्युत की बचत होगी। □

523, स्वप्न लोक,
शास्त्री नगर,
जयपुर

आर० एन०/708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी(डी एन) 98
पूर्व भुगतान के बिना सिविल लाइन्स डाकघर, दिल्ली में डाक में डालने की अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन)-55

P & T Reg... o. D(DN) 98
Licenced under U (DN)-55
to post without pre-Payment at Civil Lines Post Office, Delhi.

लघु उद्योग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में आते हैं अतः इनके लिए बैंकों से ऋण सुविधाएं बहुत जल्दी मिलती हैं।

दस्तकारी की चीजों के निर्यात से 1982–83 में 1,362 करोड़ रुपये की आय हुई।

## ग्राम और लघु उद्योग

भारतीय रिजर्व बैंक ने अन्य बैंकों को परामर्श दिया है कि वे 1985 के अन्त तक निश्चय रूप से अपने 40 प्रतिशत ऋण प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, जिनमें लघु उद्योग शामिल हैं, को दें। दिसम्बर, 1981 के अन्त में लघु उद्योग एककों/सरकारी बैंकों द्वारा ऋण प्राप्त करने वालों की संख्या 9.24 लाख थी और लघु उद्योग क्षेत्र पर 3,763 करोड़ रुपये ऋण बकाया था। राज्य वित्त निगमों ने 1981–82 के दौरान लघु उद्योगों को 410 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किए और 237 करोड़ रुपये का ऋण दिया जा चुका था।

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा
प्रकाशित और प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित।